



सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



**संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - केंद्रीय उत्पाद शुल्क)
2015 की प्रतिवेदन सं. 7**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - केंद्रीय उत्पाद शुल्क)
2015 की प्रतिवेदन सं. 7

_____ को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

| विषय | पृष्ठ |
|---|-------------|
| प्राक्कथन | (i) |
| कार्यकारी सार | (iii) |
| अध्याय I: राजस्व विभाग- केंद्रीय उत्पाद शुल्क | 1-23 |
| 1.1 संघ सरकार के स्रोत | 1 |
| 1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति | 1 |
| 1.3 संगठनात्मक संरचना | 3 |
| 1.4 प्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्ति और संयोजन | 3 |
| 1.5 अप्रत्यक्ष कर - संबंधित योगदान | 4 |
| 1.6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ में वृद्धि-प्रवृत्ति और संयोजन | 5 |
| 1.7 उपयोग किए गए सेनवेट क्रेडिट की तुलना में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ | 5 |
| 1.8 प्रमुख वस्तुओं से केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व | 7 |
| 1.9 कर आधार | 8 |
| 1.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बजटीय मुद्दे | 8 |
| 1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत छोड़ा गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व | 9 |
| 1.12 व्यापार सुविधा | 11 |
| 1.13 केंद्रीय उत्पाद शुल्कों के बकाया | 12 |
| 1.14 अपवंचन रोधी उपायों के कारण उगाही किया गया अतिरिक्त राजस्व | 12 |
| 1.15 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा | 13 |
| 1.16 अधिनिर्णय | 16 |
| 1.17 प्रतिदाय | 17 |
| 1.18 काल बुक | 18 |

| विषय | | पृष्ठ |
|--|--|--------------|
| 1.19 | संग्रहण की लागत | 19 |
| 1.20 | आंतरिक लेखापरीक्षा | 20 |
| 1.21 | लेखापरीक्षा प्रयास और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद- अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट | 21 |
| 1.22 | जानकारी के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया | 22 |
| 1.23 | रिपोर्ट विहंगावलोकन | 22 |
| 1.24 | अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई | 22 |
| 1.25 | निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट | 23 |
| 1.26 | सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा रिपोर्टों के राजस्व प्रभाव/अनुवर्ती कार्रवाई | 23 |
| अध्याय II: लौह एवं इस्पात उत्पादों और उससे बनी वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क | | 24-38 |
| 2.1 | प्रस्तावना | 24 |
| 2.2 | लेखापरीक्षा उद्देश्य | 24 |
| 2.3 | लेखापरीक्षा कवरेज | 25 |
| 2.4 | बकाया की वसूली | 25 |
| 2.5 | छूट | 27 |
| 2.6 | मूल्यांकन | 31 |
| 2.7 | सेनवेट | 33 |
| 2.8 | शुल्क का भुगतान न करना/कम करना | 35 |
| 2.9 | सेवा कर संबंधी मामले | 37 |
| अध्याय III: पेट्रोलियम, तेल तथा स्नेहक उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क | | 39-53 |
| 3.1 | प्रस्तावना | 39 |
| 3.2 | पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क संरचना | 39 |
| 3.3 | पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण | 40 |

| विषय | पृष्ठ |
|--|--------------|
| 3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य | 41 |
| 3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कवरेज | 41 |
| 3.6 शुल्क का भुगतान न करना/कम भुगतान करना | 42 |
| 3.7 सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति | 45 |
| 3.8 ब्याज का अनुद्ग्रहण | 52 |
| अध्याय IV: केंद्रीय उत्पाद शुल्क रिटर्न की संवीक्षा | 54-63 |
| 4.1 प्रस्तावना | 54 |
| 4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य | 54 |
| 4.3 लेखापरीक्षा कवरेज | 54 |
| 4.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष | 55 |
| 4.5 निर्धारितियों द्वारा अननुपालन | 60 |
| अध्याय V: नियमों एवं विनियमों का अननुपालन | 64-74 |
| 5.1 प्रस्तावना | 64 |
| 5.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना/कम भुगतान | 64 |
| 5.3 सेनवेट क्रेडिट | 68 |
| 5.4 अन्य मामले | 72 |
| अध्याय VI: आंतरिक नियंत्रणों की प्रभाविकता | 75-82 |
| 6.1 प्रस्तावना | 75 |
| 6.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष | 75 |
| 6.3 आंतरिक लेखापरीक्षा | 75 |
| 6.4 अन्य मामले | 78 |
| परिशिष्ट I | 83 |
| परिशिष्ट II | 84 |
| परिशिष्ट III | 87 |
| शब्दावली | 88 |

प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जो 2013-14 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए; और साथ ही वे मामले जो पूर्व के वर्षों में देखे गए थे लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार प्रतिपादित की गई है।

कार्यकारी-सार

इस प्रतिवेदन में ₹ 125.11 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर 68 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल हैं। मंत्रालय/विभाग ने दिसम्बर 2014 तक ₹ 90.71 करोड़ राजस्व वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों को मान लिया था और ₹ 27.44 करोड़ की वसूली की सूचना दी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

अध्याय I: राजस्व विभाग - केंद्रीय उत्पाद शुल्क

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वि.व. 14 के दौरान कमी देखी गई और यह वि.व. 13 से ₹ 6,390 करोड़ कम हो गया।

(पैराग्राफ 1.5)

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूटों के कारण छोड़ा गया राजस्व ₹ 1,95,679 करोड़ (सामान्य छूट के रूप में ₹ 1,77,680 करोड़ और क्षेत्र आधारित छूट के रूप में ₹ 17,999 करोड़) था जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व का 115 प्रतिशत है।

(पैराग्राफ 1.11)

- वसूली हेतु बकाया वि.व. 13 में ₹ 45,463 करोड़ से बढ़कर वि.व. 14 में ₹ 53,309 करोड़ हो गया जबकि संग्रहण वि.व. 13 में ₹ 1,560 करोड़ से बहुत ज्यादा घटकर वि.व. 14 में ₹ 1,178 करोड़ हो गया।

(पैराग्राफ 1.13)

अध्याय II: लौह एवं इस्पात उत्पादों और इनकी वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क

- दिनांक 7 फरवरी 2012 के अंतिम आदेश के विभाग के पक्ष में होने के बावजूद भी ₹ 88.26 लाख के सरकारी राजस्व की गैर-वसूली।

(पैराग्राफ 2.4.2)

अध्याय III: पीओएल उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क

- पाईपलाईन स्थानान्तरण में इंटरफेस एसकेओ पर ₹ 3.57 करोड़ के उत्पाद शुल्क का कम भुगतान।

(पैराग्राफ 3.6.2)

अध्याय IV: केंद्रीय उत्पाद विवरणी के संवीक्षा की पर्याप्तता

- चयनित आयुक्तालयों में प्राप्त 73,487 विवरणियों में से 57,348 विवरणियों (78 प्रतिशत) की संवीक्षा तीन महीनों में की गई 8,345 विवरणियों (11 प्रतिशत) की संवीक्षा देरी से की गई और 7,794 विवरणियों (11 प्रतिशत) की संवीक्षा अभी भी की जानी थी।

(पैराग्राफ 4.4.3)

- एसीईएस ने विस्तृत संवीक्षा हेतु विवरणियों को सूचीबद्ध नहीं किया। इसके अतिरिक्त, केवल 320 विवरणियों अर्थात् कुल प्राप्त विवरणियों के 0.44 प्रतिशत ही चयनित आयुक्तालयों में विस्तृत संवीक्षा के विषयगत थे।

(पैराग्राफ 4.4.6)

अध्याय V: नियमों एवं विनियमों का गैर - अनुपालन

- हमने ₹ 66.74 करोड़ राजस्व निहितार्थ वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कम/गैर भुगतान, अनुचित सेनवेट क्रेडिट लेने और उपयोग करने के मामले देखे।

(पैराग्राफ 5.1)

अध्याय VI: आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता

- हमने विभागीय कार्मिकों द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियाँ, कर-अपवंचन और निरोधक इकाईयों आदि की अप्रभावी कार्यप्रणाली की घटनायें देखीं। निहित शुल्क/कर ₹ 15.47 करोड़ था।

(पैराग्राफ 6.2)

अध्याय I

राजस्व विभाग - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

1.1 संघ सरकार के स्रोत

भारत सरकार के स्रोतों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण की वापसी से प्राप्त समस्त राशियाँ शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व स्रोत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की राजस्व प्राप्ति शामिल हैं। तालिका 1.1 संघ सरकार की प्राप्तियों का सार दर्शाती है जो वित्तीय वर्ष 14 के लिए ₹ 55,83,092 करोड़¹ था। इनमें से, ₹ 11,38,996 करोड़ की सकल कर प्राप्ति सहित उसकी अपनी प्राप्ति ₹ 15,36,024 करोड़ थीं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

| | (₹ करोड़ में) |
|---|------------------|
| क. कुल राजस्व प्राप्ति | 15,36,024 |
| i. प्रत्यक्ष कर प्राप्ति | 6,38,596 |
| ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्ति | 5,00,400 |
| iii. सहायता अनुदान एवं अंशदान सहित गैर-कर प्राप्ति | 3,97,028 |
| ख. विविध पूंजीगत प्राप्ति | 27,553 |
| ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली | 24,549 |
| घ. लोक ऋण प्राप्ति | 39,94,966 |
| भारत सरकार की प्राप्ति (क+ख+ग+घ) | 55,83,092 |
| टिप्पणी : कर प्राप्ति में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से सौंपे गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से कुल राजस्व प्राप्ति का हिस्सा ₹ 3,18,230 करोड़ शामिल है। | |

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबद्ध है और इस अर्थ में वह व्यक्ति विशिष्ट की बजाए लेन देन विशिष्ट है। संसद के अधिनियमों के तहत लगाए गए मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क नीचे सूचीबद्ध हैं:

¹ स्रोत: वि.व. 14 के संघ वित्त लेखे। आंकड़े अनंतिम हैं। अन्य करों सहित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्राप्ति वि.व. 14 के संघ वित्त लेखे से ली गई हैं।

क) सीमाशुल्क: भारत में आयातित माल और भारत से निर्यात होने वाले कुछ माल (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83) पर यह शुल्क लगाया जाता है।

ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: यह शुल्क भारत में निर्मित या उत्पादित माल पर लगाया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोड़कर किन्तु शराब और अफीम इत्यादि (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84) वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्तियां हैं।

ग) सेवाकर: करयोग्य क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 97)। सेवाकर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर कर है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी में प्रावधान है कि नकारात्मक सूची को छोड़कर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं या सेवाएँ देने पर सहमति देने वाली सभी सेवाओं पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा और निर्धारित प्रावधान² के अनुसार कर वसूला जाएगा। 'सेवा' को अधिनियम की धारा 66बी(44) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए किसी भी गतिविधि (इसमें अलग मदों के अलावा) और एक घोषित सेवा³ मानना।

इस अध्याय में वित्त लेखे, विभागीय लेखे और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध संबंधित डाटा से डाटा का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद की प्रवृत्ति, संयोजन और प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है।

² धारा 66बी को वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1 जुलाई 2012 से शामिल किया गया था; धारा 66डी नकारात्मक सूची वाले मदों को सूचीबद्ध करती है।

³ वित्त अधिनियम की धारा 66ई में घोषित सेवाएँ सूचीबद्ध हैं।

1.3 संगठनात्मक ढाँचा

वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग (डीओआर) केन्द्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम, 1963 के अधीन गठित एक सांविधिक बोर्ड नामतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों पर नियंत्रण रखता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और वसूली से संबंधित मुद्दे सीबीईसी द्वारा देखे जाते हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून सीबीईसी द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरियों के माध्यम से प्रशासित होता है। इस उद्देश्य के लिए, देश को 23 ज़ोनो में विभाजित किया गया है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का एक मुख्य आयुक्त प्रत्येक जोन का प्रमुख होता है। इन ज़ोनो में 93 कमिश्नरियां और 4 बड़ी करदाता इकाईयां (एलटीयू) कमिश्नरियां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त की अध्यक्षता में हैं। डिविजन और रैंज उत्तरवर्ती संरचनाएं हैं जिनकी अध्यक्षता क्रमशः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप/सहायक आयुक्त और अधीक्षक करते हैं।

31 मार्च 2014 तक सीबीईसी की कुल संस्वीकृत कार्यबल संख्या 68,793 है। सीबीईसी का संगठनात्मक ढाँचा परिशिष्ट 1 में दर्शाया गया है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.2 वि.व. 10 से वि.व. 14 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में सापेक्षित वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

| वर्ष | अप्रत्यक्ष कर | जीडीपी | जीडीपी की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर | (₹ करोड़ में) | |
|---------|---------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---|
| | | | | सकल कर राजस्व | सकल कर राजस्व के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर |
| वि.व.10 | 2,45,373 | 64,77,827 | 3.79 | 6,24,527 | 39.29 |
| वि.व.11 | 3,45,371 | 77,95,314 | 4.43 | 7,93,307 | 43.54 |
| वि.व.12 | 3,92,674 | 90,09,722 | 4.36 | 8,89,118 | 44.16 |
| वि.व.13 | 4,74,728 | 1,01,13,281 | 4.69 | 10,36,460 | 45.80 |
| वि.व.14 | 5,00,400 | 1,13,55,073 | 4.41 | 11,38,996 | 43.93 |


स्रोत: वित्त लेखे।

वि.व. 14 के आंकड़े अनंतिम हैं।

यह देखा जा सकता है कि वि.व. 14 में जीडीपी और सकल कर राजस्व के अनुपात में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में गिरावट आई है जबकि सम्पूर्णता में इसमें वृद्धि हुई है।

1.5 अप्रत्यक्ष कर – संबंधित योगदान

तालिका 1.3 वि.व. 10 से वि.व. 14 की अवधि में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर अवयवों का प्रक्षेप वक्र दर्शाती है। प्रमुख अप्रत्यक्ष करों का संबंधित राजस्व योगदान चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।



तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर – जीडीपी की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | जीडीपी | सी.शुल्क राजस्व | जीडीपी की % के रूप में सी.शु. राजस्व | के.उ.शु. राजस्व | जीडीपी की % के रूप में के.उ.शु. राजस्व | सेवा कर राजस्व | जीडीपी की % के रूप में सेवा कर राजस्व |
|---------|------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|----------------|---------------------------------------|
| वि.व.10 | 64,77,827 | 83,324 | 1.29 | 1,02,991 | 1.59 | 58,422 | 0.90 |
| वि.व.11 | 77,95,314 | 1,35,813 | 1.74 | 1,37,701 | 1.77 | 71,016 | 0.91 |
| वि.व.12 | 90,09,722 | 1,49,328 | 1.66 | 1,44,901 | 1.61 | 97,509 | 1.08 |
| वि.व.13 | 101,13,281 | 1,65,346 | 1.63 | 1,75,845 | 1.74 | 1,32,601 | 1.31 |
| वि.व.14 | 113,55,073 | 1,72,085 | 1.52 | 1,69,455 | 1.49 | 1,54,780 | 1.36 |

स्रोत: कर प्राप्ति के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे के अनुसार हैं।

वि.व. 14 के आंकड़े अनंतिम हैं।

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क राजस्व के हिस्से में वि.व.14 के दौरान गिरावट आई है जबकि सेवाकर के भाग में वृद्धि हुई है।

1.6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि – प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.4 वि.व.10 से वि.वि.14 के दौरान समेकित और जीडीपी के संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद राजस्व में वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.4: केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | जीडीपी | सकल कर राजस्व | सकल अप्रत्यक्ष कर | के.उ.शु. राजस्व | जीडीपी की % के रूप में के.उ.शु. राजस्व | सकल कर राजस्व की % के रूप में के.उ.शु. राजस्व | अप्रत्यक्ष कर की % के रूप में के.उ.शु. राजस्व |
|---------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|--|---|---|
| वि.व.10 | 64,77,827 | 6,24,527 | 2,45,373 | 1,02,991 | 1.59 | 16.49 | 41.97 |
| वि.व.11 | 77,95,314 | 7,93,307 | 3,45,371 | 1,37,701 | 1.77 | 17.36 | 39.87 |
| वि.व.12 | 90,09,722 | 8,89,118 | 3,92,674 | 1,44,901 | 1.61 | 16.30 | 36.90 |
| वि.व.13 | 1,01,13,281 | 10,36,460 | 4,74,728 | 1,75,845 | 1.74 | 16.97 | 37.04 |
| वि.व.14 | 1,13,55,073 | 11,38,996 | 5,00,400 | 1,69,455 | 1.49 | 14.88 | 33.86 |

स्रोत: वित्त लेखे

वि.व.14 के आंकड़े अनंतिम

यह देखा जा सकता है कि पिछले दस वर्षों में जीडीपी, सकल कर राजस्व और अप्रत्यक्ष कर के अनुपात के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में गिरावट आई है। वि.व.14 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ, सकल कर राजस्व की लगभग 15 प्रतिशत थीं।

1.7 उपयोग किए गए सेनवेट क्रेडिट की तुलना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ


एक निर्माता, उत्पादन सामग्री या पूँजीगत माल पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ, उसके निर्माण कार्य से संबंधित इनपुट सेवाओं पर अदा किए गए सेवाकर के क्रेडिट का लाभ ले सकता है तथा इस प्रकार लिए गये क्रेडिट का उपयोग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में कर सकता है।

तालिका 1.5 तथा चार्ट 1.2, वि.व. 10 से वि.व. 14 के दौरान नगदी (पीएलए) तथा सेनवेट क्रेडिट द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.5: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां: पीएलए तथा सेनवेट का उपयोग
(₹ करोड़ में)

| वर्ष | पीएलए द्वारा प्रदत्त के.उ.शु. | | सेनवेट क्रेडिट* द्वारा प्रदत्त के.उ.शु. | | पीएलए भुगतान के % के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त के.उ.शु. |
|---------|-------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|
| | राशि | पिछले वर्ष से % वृद्धि | राशि | पिछले वर्ष से % वृद्धि | |
| वि.व.10 | 1,02,991 | - | 1,19,982 | - | 116.50 |
| वि.व.11 | 1,37,701 | 33.70 | 1,70,058 | 41.74 | 123.50 |
| वि.व.12 | 1,44,901 | 5.23 | 2,14,014 | 25.85 | 147.70 |
| वि.व.13 | 1,75,845 | 21.36 | 2,58,697 | 20.88 | 147.12 |
| वि.व.14 | 1,69,455 | -3.63 | 2,73,323 | 5.65 | 161.30 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े




स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि सेनवेट क्रेडिट से भुगतान पिछले पाँच वर्षों में वि.व. 10 में पीएलए के 117 प्रतिशत से बढ़कर वि.व. 14 में 161 प्रतिशत हो गया।

1.8 प्रमुख वस्तुओं से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

चार्ट 1.3 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (वि.व. 14) में वस्तु समूह का भाग दर्शाता है।



स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि पेट्रोलियम (53 प्रतिशत), लौह एवं इस्पात (10 प्रतिशत), तम्बाकू उत्पाद (10 प्रतिशत), सीमेंट (6 प्रतिशत), मोटर वाहन (5 प्रतिशत), रसायन उत्पाद (3 प्रतिशत), प्लास्टिक (3 प्रतिशत) और मशीनरी उत्पाद (2 प्रतिशत) आठ उच्चतम राजस्व अर्जक थे और वि.व. 14 में कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में इन सभी का योगदान 92 प्रतिशत था।

तालिका 1.6 पिछले पांच वर्षों के दौरान इन वस्तुओं से राजस्व को दर्शाती है।

तालिका 1.6: पिछले पांच वर्षों के दौरान शीर्ष उपज वस्तुओं से राजस्व

(₹ करोड़ में)

| वस्तुएँ | वि.व. 10 | वि.व. 11 | वि.व. 12 | वि.व. 13 | वि.व. 14 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| पेट्रोलियम उत्पाद | 63,600 | 76,023 | 74,112 | 84,188 | 88,065 |
| लोह एवं इस्पात | 9,786 | 14,483 | 13,813 | 17,603 | 17,342 |
| तम्बाकू उत्पाद | 12,302 | 13,977 | 15,682 | 17,991 | 16,050 |
| सीमेंट | 5,185 | 7,458 | 8,952 | 10,712 | 10,308 |
| मोटर वाहन | 5,176 | 7,024 | 7,447 | 10,038 | 8,363 |
| रसायन उत्पाद | 1,618 | 2,802 | 3,443 | 4,872 | 4,845 |
| प्लास्टिक | 1,355 | 2,368 | 2,931 | 4,259 | 4,298 |
| मशीनरी | 1,876 | 2,799 | 3,452 | 4,559 | 3,761 |
| अन्य | 8,239 | 9,529 | 12,841 | 19,176 | 14,267 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि वि. व. 14 के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद और प्लास्टिक को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं ने नकरात्मक वृद्धि दर्शाई।

1.9 कर आधार

“निर्धारिती” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिस पर निर्धारित शुल्क का भुगतान देय है या उत्पाद शुल्कयोग्य माल का निर्माता अथवा उत्पादक है अथवा निजी माल गोदाम, जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य माल संग्रहित किया जाता है, का पंजीकृत व्यक्ति है तथा इसमें ऐसे व्यक्ति का प्राधिकृत एजेंट भी शामिल है। एक एकल कानूनी सत्व (कम्पनी अथवा व्यक्ति) की विनिर्माण इकाइयों के स्थान पर आधारित कई निर्धारिती पहचान हो सकती हैं। तालिका 1.7 पिछले दस वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारितियों की संख्या बताती हैं:

तालिका 1.7: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर आधार

| वर्ष | निर्धारितियों की संख्या | पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि |
|----------|-------------------------|----------------------------------|
| वि.व. 10 | 3,19,588 | - |
| वि.व. 11 | 3,51,293 | 9.92 |
| वि.व. 12 | 3,82,218 | 8.80 |
| वि.व. 13 | 4,09,707 | 7.19 |
| वि.व. 14 | 4,35,668 | 6.34 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या में स्थिर वृद्धि हुई है।

1.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बजटीय मुद्दे

तालिका 1.8 बजट आकलन और वास्तविक केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की तुलना दर्शाती है।

तालिका 1.8: बजट, संशोधित आकलन और वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बजट आकलन | संशोधित बजट आकलन | वास्तविक प्राप्तियाँ | वास्तविक एवं बीई के बीच अंतर | वास्तविक और बीई के बीच अंतर की % | वास्तविक और आरई के बीच अंतर की % |
|----------|----------|------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| वि.व. 10 | 1,06,477 | 1,02,000 | 1,02,991 | (-)3,486 | (-)3.27 | (+)0.97 |
| वि.व. 11 | 1,32,000 | 1,37,778 | 1,37,701 | (+)5,701 | (+)4.32 | (-)0.06 |
| वि.व. 12 | 1,64,116 | 1,50,696 | 1,44,901 | (-)19,215 | (-)11.71 | (-)3.85 |
| वि.व. 13 | 1,94,350 | 1,71,996 | 1,75,845 | (-)18,505 | (-)9.52 | (+)2.24 |
| वि.व. 14 | 1,97,554 | 1,79,537 | 1,69,455 | (-)28,099 | (-)14.22 | (-)5.62 |

स्रोत: संघ बजट एवं वित्त लेखे

वि.व. 14 के आंकड़े अनंतिम हैं।

यह देखा जा सकता है कि वि.व. 14 के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों में बजट प्राकलन से 14.22 प्रतिशत तक गिरावट आई है।

1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत परित्यक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 5ए(1) के तहत जनहित में छूट अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि शुल्क दरों को अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम निर्धारित किया जा सके। छूट अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरें “प्रभावी दरों” के रूप में जानी जाती हैं। परित्यक्त राजस्व को, छूट अधिसूचना के बिना देय शुल्क और उक्त अधिसूचना के अनुसार अदा किए गए शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है-

- ऐसे मामले जहाँ टैरिफ और प्रभावी दरें मूल्यानुसार विनिर्दिष्ट होते हैं-
छोड़ा गया राजस्व = सामान का मूल्य X (शुल्क का टैरिफ दर - शुल्क का प्रभावी दर)
- ऐसे मामले में जहाँ टैरिफ दर सममूल्य पर है किन्तु छूट अधिसूचना के अनुसार निर्धारित दर पर प्रभावी शुल्क वसूला जाता है तब -
परित्यक्त राजस्व = (सामान का मूल्य X शुल्क का टैरिफ दर) - (सामान की मात्रा X विशेष शुल्क की प्रभावी दर)

- ऐसे मामले में जहाँ टैरिफ दर और प्रभावी दर सममूल्य तथा विशिष्ट दरों का संयोजन है, परित्यक्त राजस्व की गणना उसके अनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में, जहाँ शुल्क का टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर हो, परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।

धारा 5ए(1) के तहत सामान्य छूट अधिसूचना जारी करने की शक्तियों के अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 5ए(2) द्वारा अपवाद परिस्थितियों के तहत मामले दर मामले आधार पर उत्पाद शुल्क छूट देने हेतु विशेष आदेश जारी करने का भी अधिकार है। हालांकि, सामान्य छूट जो केंद्र सरकार की राजकोषीय नाति का अभिन्न अंग होती हैं, के विपरीत छूट आदेश जारी करने का मुख्य उद्देश्य अपवादात्मक परिस्थितियों से निपटान है। इस प्रकार, विशेष छूट आदेश जारी करने के कारण परित्यक्त राजस्व की गणना परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों में नहीं की जा रही हैं।

तालिका 1.9 पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ सरकार के बजटीय दस्तावेजों में सूचित अनुसार परित्यक्त राजस्व से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आँकड़ों को दर्शाती है।

तालिका 1.9: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां तथा कुल परित्यक्त राजस्व

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां | परित्यक्त राजस्व | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों के % के रूप में परित्यक्त राजस्व |
|----------|------------------------------------|------------------|---|
| वि.व. 10 | 1,02,991 | 1,69,121 | 164.21 |
| वि.व. 11 | 1,37,701 | 1,92,227 | 139.60 |
| वि.व. 12 | 1,44,901 | 1,95,590 | 134.98 |
| वि.व. 13 | 1,75,845 | 2,09,940 | 119.39 |
| वि.व. 14 | 1,69,455 | 1,95,679 | 115.48 |

स्रोत: संघ प्राप्तियां, बजट, वित्त लेखे

यह देखा जा सकता है कि उत्पाद शुल्कों के संदर्भ में वि.व. 14 के लिए परित्यक्त राजस्व ₹ 1,95,679 करोड़ (सामान्य छूट के रूप में ₹1,77,680 करोड़ तथा क्षेत्र आधारित छूटों के रूप में ₹ 17,999 करोड़) था जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 115 प्रतिशत है।

1.12 व्यापार सुविधा

1.12.1 बड़ी करदाता इकाइयाँ (एलटीयू) का निर्माण

व्यापार सुविधा के लिए विभाग द्वारा एलटीयू को स्थापित किया गया है। एक एलटीयू राजस्व विभाग के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आयकर तथा कॉरपोरेट टैक्स से संबंधित सभी मामलों के लिए एक एकल खिड़की निकासी बिन्दु के रूप में कार्य करने वाला एक आत्मनिर्भर कर कार्यालय है। पात्र कर दाता जो एलटीयू में निर्धारण के लिए चुनाव करते हैं, वे ऐसे एलटीयू पर अपनी उत्पाद शुल्क विवरणी, प्रत्यक्षकर विवरणी तथा सेवा कर विवरणी फाइल करने में सक्षम होंगे तथा इसके तहत सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इन सभी करों को निर्धारित किया जाएगा। इन इकाइयों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर/शुल्क भुगतान, दस्तावेजों तथा विवरणियों की फाइलिंग, छूट/प्रतिदाय के दावे, विवादों के निपटान आदि से संबंधित सभी मामलों में कर दाताओं की सहायता करने के लिए आधुनिक सुविधाओं तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति से समर्थ बनाया जा रहा है। व्यापार सुविधा के लिए दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु तथा चेन्नई में चार एलटीयू को स्थापित किया गया है।

1.12.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचालन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचालन (एसीईएस) सीबीईसी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ई-गवर्नेंस की पहल है। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत भारत सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से एक है। यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में कर दाता सेवाओं, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा दक्षता में सुधार लाने के लिए लक्षित है। यह एप्लीकेशन एक वेब आधारित तथा कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली है जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर की सभी प्रमुख प्रक्रियाएं स्वचालित हैं।

1.13 केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के बकाया

कानून, मांगे गये किन्तु वसूल न हो पाये राजस्व की वसूली के विभिन्न तरीके प्रदान करता है। इसमें उस व्यक्ति, जिससे राजस्व वसूल किया जाना है, को देय राशि, यदि कोई हो, का समायोजन, जब्त किए गए उत्पाद शुल्क योग्य माल की बिक्री द्वारा वसूली और जिला राजस्व प्राधिकरण द्वारा भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली किया जाना शामिल है।

तालिका 1.10 बकाया राजस्व की वसूली के संदर्भ में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.10 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में बकाया वसूली

| वर्ष | वर्ष के आरंभ में बकाया राशि | वर्ष के दौरान संग्रहण | वर्ष के अंत में लंबित बकाया वसूली | (₹ करोड़ में) | |
|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|------|
| | | | | संग्रहण, वर्ष के आरंभ में बकाये के % के रूप में | |
| वि.व. 12 | 34,945 | 1,125 | 35,964 | | 3.22 |
| वि.व. 13 | 35,964 | 1560 | 45,463 | | 4.34 |
| वि.व. 14 | 45,463 | 1178 | 59,309 | | 2.59 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि संग्रहण वि.व. 13 में 4.34 प्रतिशत की तुलना में वि.व.14 के दौरान 2.59 प्रतिशत तक कम हुआ है। विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

1.14 अपवंचन रोधी उपायों के कारण उगाही किया गया अतिरिक्त राजस्व

डीजीसीईआई के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर आयुक्तालयों की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलो का पता लगाने के कार्य में सुपरिभाषित भूमिका है। जबकि आयुक्तालय, क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इकाईयों के बारे में उनके व्यापक डाटा बेस तथा क्षेत्र में उपस्थिति के कारण शुल्क अपवंचन को रोकने हेतु प्रथम रक्षा स्तर है, डीजीसीईआई को वास्तविक राजस्व के अपवंचन के बारे में विशिष्ट आसूचना संग्रहण में विशिष्टता प्राप्त है। इस प्रकार से संग्रहीत आसूचना, आयुक्तालयों से साझा की जाती है और अखिल भारतीय के स्तर के मामलों में जांच भी डीजीसीईआई द्वारा की जाती है।

तालिका 1.11 तथा 1.12 विगत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई तथा आयुक्तालयों के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.11: विगत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का प्रति-अपवंचन निष्पादन
(₹ करोड़ में)

| वर्ष | पकड़े गए मामलें | | जांच के दौरान स्वैच्छिक अदायगी |
|----------|------------------|-------|--------------------------------|
| | मामलों की संख्या | राशि | राशि |
| वि.व. 12 | 450 | 1,140 | 255 |
| वि.व. 13 | 458 | 2,940 | 1,019 |
| वि.व. 14 | 384 | 1,947 | 363 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि डीजीसीईआई द्वारा पता लगाए गए मामलों की संख्या तथा जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान वि.व. 13 की तुलना में वि.व. 14 के दौरान अधिक कम हुआ है।

तालिका 1.12: विगत तीन वर्षों के दौरान आयुक्तालयों का प्रति-अपवंचन निष्पादन
(₹ करोड़ में)

| वर्ष | पकड़े गए मामलें | | जांच के दौरान स्वैच्छिक अदायगी |
|----------|------------------|-------|--------------------------------|
| | मामलों की संख्या | राशि | राशि |
| वि.व. 12 | 2,877 | 2,788 | 965 |
| वि.व. 13 | 2,150 | 3,415 | 482 |
| वि.व. 14 | 2,222 | 2,790 | 450 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

आयुक्तालय स्तर पर, यद्यपि पता लगाए गए मामलों की संख्या बढी है परन्तु जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान वि.व.13 की तुलना में वि.व. 14 में कम हुआ है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रशासन

1.15 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 1996 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में स्व-निर्धारण प्रारम्भ किया। स्व-निर्धारण के प्रारम्भ के साथ, विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा एक मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र भी प्रदान किया। निर्धारण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों, जिन्हें शुल्क भुगतान की यथार्थता सुनिश्चित करने के

लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा करनी होती है, का मूल कार्य है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा मैनुअल के अनुसार, रैंज अधिकारी द्वारा डिवीजन के क्षेत्राधिकारी सहायक/उप आयुक्त को प्राप्त तथा संवीक्षित विवरणियों की संख्या के संदर्भ में एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। संवीक्षा दो चरणों में की जाती है अर्थात् प्राथमिक संवीक्षा एसीईएस द्वारा की जाती है एवं विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस अथवा अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर मैनुअली की जाती है।

1.15.1 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य जानकारी की सम्पूर्णता, विवरणी की समय पर प्रस्तुति, शुल्क का समय पर भुगतान, शुल्क के रूप में संगणित राशि की अंकगणितीय यर्थाथता तथा नॉन फाइलर्स तथा स्टॉप फाइलर्स की पहचान सुनिश्चित करना है।

तालिका 1.13 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा के संदर्भ में विभाग का निष्पादन दर्शाती है।

तालिका 1.13: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

| वर्ष | एसीईएस द्वारा भरे गए विवरणियों की संख्या | समीक्षा एवं सुधार हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या | समीक्षा एवं सुधार हेतु चिन्हित विवरणियों का प्रतिशत | समीक्षा एवं सुधार के पश्चात निकासित विवरणियों की संख्या | समीक्षा एवं सुधार हेतु लम्बित विवरणियों की संख्या | सुधार हेतु लम्बित चिन्हित विवरणियों की संख्या |
|---------|--|--|---|---|---|---|
| वि.व.12 | 17,00,773 | 16,39,176 | 96.38 | 6,95,098 | 9,44,078 | 57.59 |
| वि.व.13 | 29,08,856 | 27,78,012 | 95.50 | 19,67,536 | 8,10,476 | 29.17 |
| वि.व.14 | 14,67,149 | 11,86,384 | 80.86 | 7,33,141 | 4,53,243 | 38.20 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि एसीईएस द्वारा संवीक्षित मामलों की बहुत अधिक प्रतिशतता को समीक्षा तथा सुधार के लिए चिन्हित किया गया था। यह भी पाया गया कि एसीईएस में जमा की गयी विवरणियों की संख्या वि.व. 13 की

तुलना में वि.व. 14 में तीव्रता से नीचे आई है जिसकी जांच की आवश्यकता है।

तथ्य यह है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को 1 अक्टूबर 2011 से प्रभाविता के साथ प्रारम्भ किया गया है तथा इसीलिए एसीईएस के माध्यम से विवरणी संवीक्षा को कम से कम 2013-14 तक स्थिर हो जाना चाहिए था। ऑनलाइन संवीक्षा प्रारम्भ करने के पीछे मुख्य कारणों में से एक विस्तृत संवीक्षा के लिए श्रमशक्ति प्रदान करना था जो बाद में रेंज/समूह का मुख्य कार्य बन सकता था।

संविक्षित विवरणियों की बहुत अधिक प्रतिशतता को समीक्षा एवं सुधार के लिए चिन्हित किया जा रहा है तथा इसके परिणामस्वरूप सुधारात्मक कार्रवाई के लिए लम्बित विवरणियों की अधिक संख्या एसीईसी प्रणाली में कमी को दर्शाती है जिसे तत्काल विभाग को बताने की आवश्यकता है। एसीईएस में समीक्षा की पूर्णता तथा विवरणियों का सुधार निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत बाद की विवरणियों की संवीक्षा के लिए प्रथम आवश्यकता है।

1.15.2 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में प्रस्तुत सूचना की वैधता स्थापित करना है तथा मूल्यांकन की शुद्धता, सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना, वर्गीकरण तथा ली गई छूट अधिसूचना की स्वीकार्यता पर ध्यान देने के बाद लागू कर की प्रभावी दर आदि को सुनिश्चित करना है। प्राथमिक संवीक्षा से भिन्न, विस्तृत संवीक्षा करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में प्रस्तुत सूचना से विकसित जोखिम मापदंडों के आधार पर पहचानी गई कुछ चयनित विवरणियों को कवर करने के लिए है।

तालिका 1.14 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा करने में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.14 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

| वर्ष | विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या | विवरणियों की सं. जहाँ विस्तृत संवीक्षा की गई थी | विवरणियों की संख्या जहाँ विस्तृत समीक्षा लम्बित थी। | लंबन की अवधि-वार विघटन | | |
|----------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | 6 माह से 1 वर्ष के मध्य से लम्बित विवरणियाँ | 1 से 2 वर्ष के मध्य से लम्बित विवरणियाँ | 1 वर्ष से अधिक के लिए लम्बित विवरणियाँ |
| वि.व. 12 | 27,404 | 13,055 | 14,142 | 13,701 | 452 | 20 |
| वि.व.13 | 50,039 | 38,900 | 10,144 | 8,108 | 1,684 | 240 |
| वि.व.14 | 10,665 | 6,894 | 3,771 | 3,787 | 796 | 116 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

वि.व. 14 के लिए विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या वि.व.12 तथा वि.व. 13 की तुलना में काफी नीचे आई है। मंत्रालय को वि.व. 14 में की गई विस्तृत संवीक्षा की संख्या में भारी कमी की जांच करने की आवश्यकता है।

आगे यह देखा गया कि मंत्रालय द्वारा वि.व. 14 के लिए दिया गया डाटा केवल अंकगणितीय रूप से ही गलत नहीं था अपितु इसे उनके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त करने के पश्चात लेखापरीक्षा को दिया गया था जिससे काफी विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा का मत है कि आईटी के काल में, इस प्रकार के मुख्य आंकड़े बोर्ड के पास उपलब्ध होने चाहिए।

1.16 अधिनिर्णय

अधिनिर्णय एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारिती की कर देयता से संबंधित मामलों को निर्धारित करते हैं। इस प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावे, प्रावधानिक निर्धारण आदि से संबंधित मत सम्मिलित हो सकते हैं। अधिनिर्णायक प्राधिकारण के निर्णय को निर्दिष्ट प्रक्रियाओं को अनुसार एक अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 1.15 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिर्णय का समयवार विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका 1.15: विभागीय प्राधिकरण के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित मामले

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | 31 मार्च को लम्बित मामले | | मामलों का अवधि-वार विघटन | | |
|---------|--------------------------|--------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| | मामलों की सं. | राशि | एक वर्ष से कम से लम्बित मामले | एक वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्षों से कम से लम्बित मामले | तीन वर्षों से अधिक से लम्बित मामले |
| | | | मामलों की सं. | मामलों की सं. | मामलों की सं. |
| वि.व.12 | 17,418 | 16,637 | 16,227 | 883 | 308 |
| वि.व.13 | 16,801 | 16,020 | 15,712 | 909 | 184 |
| वि.व.14 | 20,428 | 21,734 | 17,286 | 2,625 | 517 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2014 तक ₹ 21,734 करोड़ के शुल्क वाले मामले अधिनिर्णय के लिए लम्बित थे। यह भी देखा गया कि 517 मामले तीन से अधिक वर्षों के लिए लम्बित थे। कुल मिलाकर वि.व. 14 में लम्बित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई थी।

1.17 प्रतिदाय

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11बी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दावे तथा अनुदान के प्रतिदाय के लिए कानूनी अधिकार देती है। प्रतिदाय शब्द में भारत से बाहर निर्यातित उत्पाद शुल्क योग्य माल पर किए गए उत्पाद शुल्क के भुगतान पर रिबेट के साथ साथ भारत के बाहर निर्यातित माल के निर्माण में उपयुक्त सामग्री पर भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क सम्मिलित है।

तालिका 1.16 पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग के निष्पादन से संबंधित प्रतिदाय का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.16: पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में प्रतिदाय

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | वर्ष के दौरान प्राप्त दावे आदि शेष सहित | | वर्ष के दौरान निपटान | | | | | | अन्तः शेष | |
|---------|---|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| | | | वर्ष के दौरान संस्वीकृत प्रतिदाय | | 90 दिनों के भीतर निपटाए गए मामले | लम्बित निपटान | मामले जहां ब्याज का भुगतान किया गया | | | |
| | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | मामलों की संख्या | मामलों की संख्या | दिया गया ब्याज | मामलों की संख्या | राशि |
| वि.व.12 | 2,04,473 | 32,215 | 1,65,229 | 27,138 | 1,58,538 | 6,691 | 18 | 7 | 39,244 | 5,077 |
| वि.व.13 | 2,15,146 | 26,873 | 1,70,797 | 21,139 | 1,64,669 | 6,128 | 20 | 15 | 44,349 | 5,734 |
| वि.व.14 | 2,70,321 | 28,461 | 2,09,549 | 11,875 | 1,98,256 | 64,215 | 241 | 91 | 60,754 | 4,714 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

उपलब्ध डाटा के आधार पर यह देखा गया कि विलम्बित प्रतिदाय पर ब्याज का भुगतान करने के लिए विभाग पर एक दायित्व है इस तथ्य के बावजूद, विभाग अधिकतर मामलों में निर्धारिती को ब्याज का भुगतान नहीं कर रहा है। बोर्ड अपने क्षेत्रीय संगठनों को प्रत्यक्ष कर की भांति विलम्बित प्रतिदायों पर ब्याज का स्वतः भुगतान करने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

आगे यह देखा गया कि मंत्रालय द्वारा वि.व. 14 के लिए दिया गया डाटा केवल अंकगणितीय रूप से ही गलत नहीं था अपितु इसे उनके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त करने के पश्चात लेखापरीक्षा को दिया गया था जिससे काफी विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा का मत है कि आईटी के काल में, इस प्रकार के मुख्य आंकड़े बोर्ड के पास उपलब्ध होने चाहिए।

1.18 कॉल बुक

विषय से संबंधित मौजूदा परिपत्र में यह परिकल्पना की गई है कि मामले जिनका कतिपय कारणों जैसे विभागीय अपील, न्यायालय से आदेश, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखापरीक्षा आपत्तियों पर वाद-विवाद आदि के कारण अधिनिर्णय नहीं हो सकता, की कॉल बुक में प्रविष्टि की जाए। सदस्य (के.उ.शु.) ने दिनांक 3 जनवरी 2005 के अपने डी.ओ.एफ. सं.

101/2/2003-सीएक्स-3 में यह जोर दिया था कि कॉल बुक के मामलों की प्रत्येक माह समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ने दिनांक 29 दिसम्बर 2005 के अपने पत्र में यह कहते हुए कि माहवार समीक्षा से कॉल बुक में अपुष्ट माँगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है, मासिक समीक्षा की आवश्यकता को दोहराया।

तालिका 1.17 हाल ही के वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कॉल बुक क्लियरेंस के संदर्भ में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.17: 31 मार्च तक लम्बित कॉल बुक मामले

| वर्ष | वर्ष के दौरान कॉल बुक में हस्तांतरित नये मामले | वर्ष के दौरान निपटान | वर्ष के अन्त में अन्तः शेष | शामिल राजस्व (₹ करोड़ में) | वर्ष के अन्त में लम्बन का अवधिकवार विघटन | | |
|---------|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------|----------------|
| | | | | | 6 माह से कम | 6-12 माह | 1 वर्ष से अधिक |
| वि.व.12 | 7,927 | 4,867 | 30,542 | 46,586 | 5,702 | 2,874 | 21,966 |
| वि.व.13 | 6,502 | 5,966 | 29,143 | 45,267 | 4,609 | 2,958 | 21,576 |
| वि.व.14 | 7,278 | 4,126 | 36,464 | 64,356 | 6,179 | 3,419 | 26,866 |

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि कॉल बुक में मामलों का लम्बन अभी भी बहुत अधिक है जो कॉल बुक मर्दों की समीक्षा प्रक्रिया की बारीकी से समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है। वि.व. 14 के दौरान, कॉल बुक लम्बित मामलों की संख्या 36,464 तक पहुंच गई थी।

1.19 संग्रहण की लागत

तालिका 1.18 संग्रहण लागत की तुलना में राजस्व संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.18: केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियां और संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां | सेवा कर से प्राप्तियां | कुल प्राप्तियां | संग्रहण की लागत | कुल प्राप्तियों के % के रूप में संग्रहण की लागत |
|---------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---|
| वि.व.10 | 1,02,991 | 58,422 | 1,61,413 | 2,127 | 1.32 |
| वि.व.11 | 1,37,901 | 71,016 | 2,08,917 | 2,072 | 0.99 |
| वि.व.12 | 1,44,540 | 97,356 | 2,41,896 | 2,227 | 0.92 |
| वि.व.13 | 1,75,845 | 1,32,601 | 3,08,446 | 2,439 | 0.79 |
| वि.व.14 | 1,69,455 | 1,54,780 | 3,24,235 | 2,635 | 0.81 |

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे,

वित्तीय वर्ष 14 के लिए आंकड़े प्रावधानिक हैं

यह देखा जा सकता है कि स्वचालन तथा आईसीटी के व्यापक उपयोग के बावजूद, संग्रहण लागत का वृद्धि प्रवृत्ति दर्शाना जारी है।

1.20 आन्तरिक लेखापरीक्षा

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 की चार अलग विशेषताएं हैं: जोखिम विश्लेषण के पश्चात वैज्ञानिक चयन, पूर्व-तैयारी पर जोर, सांविधिक रिकार्ड के प्रतिव्यवसायिक रिकार्ड की संवीक्षा तथा लेखापरीक्षा बिन्दुओं की समीक्षा।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक समीक्षा, प्रणाली की सूचना को एकत्र करना तथा दस्तावेजीकरण करना, आन्तरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना, राजस्व तथा पद्धतियों के लिए जोखिम का विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा योजना का विकास करना, वास्तविक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा आपत्तियों की तैयारी, निर्धारिती/रेंज अधिकारी/संभागीय सहायक आयुक्त के साथ परिणामों की समीक्षा करना तथा रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना शामिल है।

लेखापरीक्षा तंत्र के तीन भाग होते हैं। लेखापरीक्षा महानिदेशालय तथा क्षेत्रीय आयुक्तालय लेखापरीक्षा के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को शेर कर रहे हैं। जबकि निदेशालय, लेखापरीक्षा परिणामों के संग्रहण, अनुपालन तथा विशेषण तथा कर अनुपालन के सुधार हेतु सीबीईसी को इसकी प्रतिपुष्टि तथा ग्राहक की संतुष्टि के स्तर को आंकने के लिए उत्तरदायी है, आयुक्तालयों के

लेखापरीक्षा दल, ईए 2000 लेखापरीक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार लेखापरीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, सीबीईसी ने लेखापरीक्षा नियमावली, जोखिम प्रबंधन नियमावली तथा ईए 2000 तथा सीएएटी में लेखापरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नियमावली जो लेखापरीक्षा संचालन हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हैं के विकास में एशियाई विकास बैंक की सहायता ली। तालिका 1.19 लेखापरीक्षित इकाईयों की तुलना में आयुक्तालयों के लेखापरीक्षा दलों द्वारा लेखापरीक्षा (वि.व. 14 के दौरान) के लिए देय सेवा कर इकाईयों के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 1.19 वि.व. 14 के दौरान की गई निर्धारितियों की लेखापरीक्षा

| वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए+सेनवेट) | आवधिकता | देय इकाईयों की संख्या | योजनित इकाईयों की संख्या | लेखापरी- क्षित इकाईयों की संख्या | लेखापरी- क्षा में कमी (%) |
|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|
| < ₹ 3 करोड़ के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग ए) | वार्षिक | 12,502 | 12,110 | 10,647 | 12.08 |
| ₹ 1 तथा ₹ 3 करोड़ के बीच के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग बी) | द्विवार्षिक | 6,734 | 6,773 | 5,613 | 17.13 |
| ₹ 50 लाख तथा ₹ 1 करोड़ के बीच के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाईयां (वर्ग सी) | एक बार पांच साल में | 2,688 | 2,897 | 2,537 | 12.43 |
| < ₹ 50 लाख के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाईयां (वर्ग डी) | हर साल 10% | 8,319 | 7,193 | 5,639 | 21.60 |

स्रोत : मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि 'वर्ग ए' तथा 'वर्ग बी' इकाईयों (अनिवार्य इकाइयां तथा अधिक राजस्व गैर अनिवार्य इकाईयां) की कवरेज में कमी थी।

1.21 लेखापरीक्षा प्रयास तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद - अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

लेखापरीक्षा मानक द्वितीय संस्करण 2002 के कुशल लेखापरीक्षा मानकों को उपयोग करते हुए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा

गुणवत्ता प्रबंधन फ्रेमवर्क 2009 के अनुसार अनुपालन लेखापरीक्षा को प्रबंधित किया गया।

1.22 जानकारी के स्रोत तथा परामर्श की प्रक्रिया

राजस्व विभाग, सीबीईसी तथा इसके क्षेत्रीय संगठनों में मूल अभिलेखो/दस्तावेजों की जांच, सीबीईसी के एमआईएस, एमटीआर के साथ अन्य हिस्सा धारकों की रिपोर्टों के साथ संघ वित्त लेखे का डाटा का उपयोग किया गया। हमारे नौ क्षेत्रीय कार्यालय, महानिदेशकों (डीजी)/प्रधान निदेशक (पीडी) लेखापरीक्षा द्वारा अध्यक्षित है जिन्होंने वि.व. 14 में 1,086 (के.उ.शु. एवं सेवा कर) इकाईयों कि लेखापरीक्षा को प्रबंधित किया था।

1.23 रिपोर्ट विहंगावलोकन

वर्तमान रिपोर्ट में ₹ 125.11 करोड़ के 68 पैराग्राफ है। इसमें सामान्यतया चार प्रकार के अवलोकन हैं: सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना/उपयोग करना, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना/कम भुगतान करना, आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता तथा अन्य मुद्दे। विभाग/मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस के जारी करने एवं अधिनिर्णय के रूप में ₹ 90.71 करोड़ की धन राशि वाले 60 पैराग्राफो के मामलों में पहले ही सुधारात्मक कार्रवाई कर ली थी तथा 28 मामलों में ₹ 27.44 करोड़ की वसूली सूचित की।

1.24 अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई

तालिका 1.20 अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई तथा मार्च 2014 तक उनकी स्थिति को दर्शाती है।

तालिका संख्या 1.20: अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई

| रिपोर्ट संख्या | सीबीईसी | |
|--|--------------|---------------------------|
| | लम्बित एटीएन | प्राप्त न होने वाले एटीएन |
| 2009-10 की अ.ले.प. प्रतिवेदन सं. 12(के.उ.शु) | 2 | - |
| 2013 की अ.ले. प. प्रतिवेदन सं 17 (के.उ.शु एवं सेवा कर) | 2 | - |
| जोड़ | 4 | - |

1.25 निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

निष्पादन लेखापरीक्षा को यह सुनिश्चित करने कि प्रणाली तथा प्रक्रियाएं पर्याप्त थी तथा सीबीईसी द्वारा उनका पालन किया जा रहा था, के लिए किया गया। इस वर्ष हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में अभियोजन एवं जुर्माना के प्रबंधन तथा मोटर वाहन क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर निष्पादन लेखापरीक्षा को कवर किया। ये रिपोर्ट संसद में क्रमशः 28 नवम्बर 2014 तथा 19 दिसम्बर 2014 को प्रस्तुत की गई थी।

1.26 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा रिपोर्टों का राजस्व प्रभाव/अनुवर्ती कार्रवाई

पिछली पांच अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट सहित) हमने ₹ 863.10 करोड़ वाले 526 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (तालिका 1.21) सम्मिलित किए थे।

तालिका 1.21 लेखापरीक्षा रिपोर्टों की आगे की कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | | वि.व.10 | वि.व.11 | वि.व.12 | वि.व.13 | वि.व.14 | कुल | |
|---------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| सम्मिलित पैराग्राफ | सं. | 150 | 159 | 87 | 62 | 68 | 526 | |
| | राशि | 327.77 | 158.00 | 69.32 | 182.90 | 125.11 | 863.10 | |
| संस्वीकृत पैराग्राफ | पूर्व प्रिटिंग | सं. | 91 | 133 | 85 | 58 | 60 | 427 |
| | | राशि | 62.07 | 117.64 | 67.07 | 179.44 | 90.71 | 516.93 |
| | पश्च प्रिटिंग | सं. | 7 | 15 | 6 | - | - | 28 |
| | | राशि | 9.58 | 34.76 | 8.34 | - | - | 52.68 |
| | कुल | सं. | 98 | 148 | 91 | 58 | 60 | 455 |
| | | राशि | 71.65 | 152.40 | 75.41 | 179.44 | 90.71 | 569.61 |
| प्रभावित वसूली | पूर्व प्रिटिंग | सं. | 55 | 67 | 48 | 36 | 28 | 234 |
| | | राशि | 29.12 | 46.60 | 24.72 | 21.29 | 27.44 | 149.17 |
| | पश्च प्रिटिंग | सं. | 6 | 3 | 1 | - | - | 10 |
| | | राशि | 7.50 | 0.19 | 0.04 | - | - | 7.73 |
| | कुल | सं. | 61 | 70 | 49 | 36 | 28 | 244 |
| | | राशि | 36.62 | 46.79 | 24.76 | 21.29 | 27.44 | 156.90 |

स्रोत : सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

यह देखा जा सकता कि मंत्रालय ने ₹ 569.61 करोड़ वाले 455 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की थी तथा ₹ 156.90 करोड़ वसूल किए थे।

अध्याय II

लौह एवं इस्पात उत्पादों और उससे बनी वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

2.1 प्रस्तावना

भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है और वर्ष 2012-13 के दौरान लौह और इस्पात तीन शीर्ष राजस्व वस्तुओं में से एक था। केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 लौह और इस्पात को पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची के अध्याय 72 के तहत वर्गीकृत करता है। लौह और इस्पात के उत्पाद अध्याय 73 के तहत अलग से वर्गीकृत किए गए हैं। 19 मार्च 2012 से लौह और इस्पात और उससे बनी वस्तुओं पर 12 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उद्गाह्य है। इसके अतिरिक्त, शुल्क के 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर (9 जुलाई 2014 से प्रभावी) और शुल्क के 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर (1 मार्च 2007 से प्रभावी) भी उद्गाह्य है।

सामान्यतया लौह और इस्पात और उसके उत्पाद चार प्रकार की इकाईयों में निर्मित किए जाते हैं (i) एकीकृत स्टील संयंत्र; (ii) छोटी इस्पात यूनिटें (iii) री-रोलिंग मिल्स और (iv) विविध इंजीनियरिंग माल निर्माण करने वाली इकाईयां।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए थे:

- i. लौह और इस्पात क्षेत्र से संबंधित उत्पाद शुल्क लगाने निर्धारण और एकत्रण से संबंधित समय समय पर जारी नियमों, विनियमों अधिसूचना, परिपत्रों/निर्देशों/व्यापार नोटिसों इत्यादि की पर्याप्तता और अनुपालन;
- ii. क्या मौजूदा कानूनी प्रावधानों का पर्याप्तता के साथ अनुपालन किया जा रहा है;
- iii. क्या एक प्रभावी निगरानी और आन्तरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद था।

2.3 लेखापरीक्षा कवरेज

लेखापरीक्षा करने के लिए हमने 35 आयुक्तालयों और उन आयुक्तालयों के तहत संचालित सहायक कार्यालयों को चुना। लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या चयनित आयुक्तालयों, डिविजन और रेंज कार्यालयों में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र थे और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से रेंज कार्यालय स्तर पर अनुपालन सत्यापन तंत्र की प्रभावकारिता की नमूना जांच की गई थी। उचित निर्धारणों और शुल्क की वसूली और एकत्रण के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन की नमूना जांच विभागीय कार्यालयों और कुछ चयनित निर्धारितियों के परिसरों में की गई थी।

कवर की गई अवधि 2010-11 से 2012-13 थी। हमने अगस्त 2014 में ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने छूट, बकाया की वसूली न करने, शुल्क का भुगतान न करने/कम भुगतान करने, सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेने इत्यादि के मामले पाए जिसमें ₹ 24.60 करोड़ का राजस्व शामिल था। विभाग ने ₹ 1.39 करोड़ के राजस्व वाली लेखापरीक्षा अपत्तियां स्वीकार की (नवम्बर 2014) और उसकी वसूली की। मुख्य निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

विभाग केन्द्रित मुद्दे

2.4 बकाया की वसूली

कानून सरकार को देय राजस्व की वसूली के लिए कई तरीकों का प्रावधान करता है। इनमें राशियों के प्रति वसूलियों का समायोजन यदि कोई उस व्यक्ति को देय है जिससे राजस्व वसूली योग्य है, सम्पत्ति की कुर्की और उत्पाद शुल्क योग्य माल की बिक्री द्वारा वसूली और जिला राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से वसूली शामिल है। बकायों की वसूली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के बुनियादी कर्तव्यों में से एक है।

बोर्ड ने दिनांक 1 जनवरी 2013 के परिपत्र द्वारा निर्देश दिया कि पुष्टि की गई मांग के प्रति वसूली प्रक्रिया उसमें निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रारंभ की जाएगी।

2.4.1 अप्रतिरोधित बकाया की वसूली न करना

निम्नलिखित तालिका के अनुसार तीन आयुक्तालयों में लेखापरीक्षा ने पाया कि 21 मामलों में अधिनिर्णय के बाद मूल आदेश जारी करने की तिथि से कई वर्षों के बीत जाने के बाद भी ₹ 7.94 करोड़ की वसूली नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि देयों को जमा कराने के लिए निर्धारितियों के साथ केवल पत्राचार किया गया था किन्तु चल या अचल सम्पत्ति की पहचान और जिला राजस्व अधिकारियों द्वारा सरकारी देयों की वसूली के लिए सम्पत्ति की कुर्की और वसूली जैसी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई थी।

तालिका 2.1

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | आयुक्तालय | मामलों की सं. | अप्रतिरोधित बकाया | अधिनिर्णय आदेश की तिथि |
|----------|-------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 1. | पटना | 06 | 32.02 | 12/2000 से 12/2010 |
| 2 | कानपुर | 03 | 213.32 | 6/2007 से 01/2009 |
| 3 | जयपुर | 12 | 548.78 | 8/2011 से 12/2012 |
| | जोड़ | 21 | 794.12 | |

हमने इस बारे में आयुक्तालयों को जनवरी 2014 (जयपुर) और मार्च 2014 (पटना और कानपुर) में बताया था। जयपुर आयुक्तालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2014) में दो मामलों में ₹ 1.17 लाख की वसूली की सूचना दी और बताया कि अन्य मामलों में निर्धारितियों को देयों का भुगतान करने के लिए राजी किया जा रहा था। अन्य दो आयुक्तालयों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.4.2 विभाग के पक्ष में अन्तिम आदेश के बावजूद सरकारी राजस्व की वसूली न होना

कानपुर आयुक्तालय में डिविजन II के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग ने दिसम्बर 2008 में कानपुर आयुक्तालय (उत्तर प्रदेश) में उन्नाव में मै. राज रतन इंडस्ट्रीज (अब मै. जय जगदाम्बा मेटालायड लि.)

के प्रति ₹ 88.26 लाख की मांग की पुष्टि की थी। निर्धारिती सेस्टेट में गया, जिसने दिनांक 7 फरवरी 2012 के अन्तिम आदेश द्वारा मामले का निर्णय विभाग के पक्ष में लिया। किन्तु विभाग ने निर्धारिती से बकाया राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। आगे यह देखा गया कि एक तरफ तो विभाग उपरोक्त राशि की वसूली नहीं कर सका, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी लम्बित बकायों की सूची से उपरोक्त मामले को हटा दिया क्योंकि सितम्बर 2013 महीने के लिए डिविजन द्वारा तैयार टीएआर में उपरोक्त मामला लम्बित के रूप में नहीं था।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2013), डिविजन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि पार्टी ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय के अनुसार सेस्टेट के समक्ष गलती के सुधार का आवेदन दर्ज किया जिसे 21 जून 2013 के आदेश द्वारा सेस्टेट द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए, पार्टी के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही थी।

डिविजन के उत्तर से इस बात की पुष्टि हो गई कि सेस्टेट द्वारा दूसरी बार निर्धारिती की अपील के अस्वीकरण के बावजूद, चार महीने बीत जाने के बाद भी निर्धारिती के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

अनुपालन मुद्दे

2.5 छूट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(1) में परिकल्पना की गई है कि उस इनपुट की मात्रा या इनपुट सेवा पर सेनवेट क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाएगा जो छूट प्राप्त माल के निर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान में उपयोग होती है।

यदि सेवा प्रदाता कर योग्य और छूट प्राप्त सेवाओं से संबंधित पृथक खातों का अनुरक्षण करने में विफल होता है तो उस मामले में नियम 6(3) के अनुसार, निर्धारिती जैसा भी उस पर लागू होगा निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का पालन करेगा, नामतः

- (i) माल का निर्माता या आउटपुट सेवा का प्रदाता छूट प्राप्त माल या छूट प्राप्त सेवा के मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर की राशि का भुगतान करेगा; या
- (ii) माल का निर्माता या आउटपुट सेवा का प्रदाता छूट प्राप्त माल के निर्माण या छूटप्राप्त सेवा के प्रावधान में उपयोग उस से संबंधित इनपुट और इनपुट सेवाओं के कारण सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

2.5.1 रायपुर आयुक्तालय में मै. सिंघल एटरप्राइसेस प्रा. लि. रायगढ़ ने 2012-13 की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क योग्य और गैर उत्पाद शुल्क योग्य (बिजली) दोनों का निर्माण किया। उत्पादित बिजली का उपयोग स्व उत्पादन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) को बेचने में और निर्धारिती के टाउनशिप में भी उपयोग किया गया था। निर्धारिती ने फैक्ट्री में उपयोग की गई बिजली और बाहर बेची गई बिजली के लिए अलग खातों का अनुरक्षण नहीं किया था। चूंकि निर्धारिती ने अलग खातो का अनुरक्षण नहीं किया था वह ₹ 57.68 लाख की (छूट बिक्री मूल्य का छः प्रतिशत) राशि के भुगतान का दायी था। यह नियमों के तहत लागू ब्याज और शास्ति सहित निर्धारिती से वसूली योग्य था।

हमने इस बारे में फरवरी 2014 में बताया था, मंत्रालय/अयुक्तालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

2.5.2 रायपुर आयुक्तालय में मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चम्बा ने 2012-13 की अवधि के लिए ₹ 22.34 करोड़ की कुल बिजली (छूट प्राप्त माल) बेची थी। निर्धारिती ने फैक्ट्री में उपयोग की गई बिजली और बाहर बेची गई बिजली के लिए अलग खातों का अनुरक्षण नहीं किया था और माल की छूट प्राप्त बिक्री पर सेनवेट क्रेडिट का वापसी के लिए ₹ 58.60 लाख डेबिट किए थे। इस संबंध में कहना है कि 2012-13 में कुल बिक्री ₹ 2215.10 करोड़, कुल छूट प्राप्त बिक्री ₹ 22.34 करोड़ और कुल लिया गया क्रेडिट लाभ ₹ 107.57 करोड़ था। जब बेचे गए छूट प्राप्त माल के मूल्य को कुल बेचे गए माल को एक वर्ष में लिया गया कुल सेनवेट क्रेडिट से गुणा किया गया, वापसी की राशि ₹ 1.08 करोड़ पायी गई। इसलिए, ₹ 49.87 लाख की कम

वापसी हुई। यह निर्धारिती से लागू नियमों के तहत ब्याज और शास्ति सहित वसूली योग्य था।

हमने फरवरी 2014 में इसके बारे में बताया था, आयुक्तालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

2.5.3 छूट अधिसूचना का गलत लाभ उठाना

दिनांक 16 मार्च 1995 की अधिसूचना के अनुसार फैक्ट्री में निर्मित मध्यवर्ती उत्पाद को शुल्क से छूट है, यदि इसका उपयोग (क) पूंजीगत माल जैसा सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 में परिभाषित है अर्थात् जो सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र है या (ख) सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र इनपुटों से निर्मित उत्पाद शुल्क योग्य अन्तिम उत्पादों या उससे संबंधित, निर्माण में उपयोग किया गया हो।

रायपुर आयुक्तालय में मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. चम्पा जो कि लौह एवं इस्पात और उसके फ्लाइ एश ब्रिक्स एवं कोल तार वस्तुओं का निर्माण करती है, ने 2012-13 के दौरान ₹ 45.91 लाख मूल्य (निर्धारण योग्य मूल्य प्रचलित बजार दर पर आधारित है) के 14,43,850 संख्या के फ्लाइ एश ब्रिक्स/ब्लाकों की निकासी स्व उपयोग हेतु की। इसके अतिरिक्त अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उपरोक्त अधिसूचना का लाभ लेते हुए निर्धारिती ने निकासी की गई मात्रा पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया था। चूंकि फ्लाइ एश ब्रिक्स/ब्लाक, स्पोज आयरन, आयरन बिलेट्स और सिलिकान मँगनीज जैसे अन्तिम उत्पादों के निर्माण हेतु उपयोग नहीं किया गया था, अधिसूचना के तहत लिया गया लाभ अनियमित था। इसके परिणमस्वरूप उक्त अवधि के दौरान ₹ 5.68 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ। इसकी वसूली नियमों/अधिनियमों के तहत ब्याज और शास्ति सहित वसूलना आवश्यक है।

हमने इसके बारे में फरवरी 2014 में ध्यान दिलाया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.5.4 छूट अधिसूचना के गलत लाभ के परिणामस्वरूप शुल्क न लगाना

16 मार्च 1995 की अधिसूचना रक्षा और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों जो कालम (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त अधिसूचना में अनुबंधित तालिका के कालम (3) में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन, आपूर्ति किए गए माल पर उत्पाद शुल्क और उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क से छूट का प्रावधान करती है। अधिसूचना की क्रम संख्या 21 पर शर्त विनिर्दिष्ट है कि उक्त माल की आपूर्ति भारतीय नौसेना और कोस्टगार्ड के युद्धपोतों के निर्माण में प्रयोग हेतु की जानी चाहिए।

वर्ष 2012-13 के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान मै. शाह एलाय कलोल, जोकि अहमदाबाद आयुक्तालय (गुजरात) के तहत आता है, में पाया गया कि निर्धारिती ने क्रय आदेश के प्रति मै. डब्ल्यू डब्ल्यू डिफेंस, दिल्ली को ₹ 1,40,000 प्रति टन की दर से 80 मीट्रिक टन आरमर स्टील प्लेट्स की आपूर्ति की। उक्त आपूर्ति सेन्ट्रल एयर कमांड, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 21 मार्च 2012 को जारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट प्रमाणपत्र पर आधारित थी और उत्पाद शुल्क की शून्य दर पर की गई थी। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3) के अनुसार, आपूर्ति के मूल्य पर 6 प्रतिशत की दर से सेनवेट क्रेडिट को वापिस किया।

तथापि, अधिसूचना 64/95 की क्रम सं. 21 के तहत निर्धारित शर्त के अनुसार माल की आपूर्ति भारतीय नौसेना या तटरक्षक के युद्धपोत के निर्माण में प्रयोग होनी चाहिए थी। इस मामले में, माल की आपूर्ति भारतीय वायु सेना के सेन्ट्रल एयर कमांड की बुलेट प्रूफ गार्ड रूम के निर्माण हेतु की जा रही थी। यह भी पाया गया कि की गई आपूर्ति और जिस संगठन को आपूर्ति की गई थी, का पूर्व में उल्लिखित अधिसूचना की किसी भी क्रम संख्या में उल्लेख नहीं था। की गई आपूर्ति का मूल्य ₹ 1.12 करोड़ था जिसमें ₹ 6.72 लाख की राशि जिसे पहले ही वापिस कर दिया गया था, काटने के बाद ₹ 7.12 लाख का शुल्क दायित्व शामिल था।

जब हमने इस पर ध्यान दिलाया (अक्टूबर 2013) आयुक्तालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि निर्धारिती द्वारा ₹ 7.11 का अन्तर शुल्क पहले ही डेबिट कर दिया गया था और ₹ 2 लाख की ब्याज की राशि वसूलनी बाकी है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.6 मूल्यांकन

2.6.1 सीएस 4 रिकार्ड का रखरखाव न करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2000 के नियम 9 के परन्तुक के साथ पठित नियम 8 में परिकल्पित है कि जहां निर्धारिती द्वारा उत्पाद शुल्क योग्य माल बेचा नहीं जाता है किन्तु उसका उपभोग उसके द्वारा या निर्धारिती से संबंधित व्यक्ति द्वारा अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, ऐसे माल का निर्धारित मूल्य ऐसे माल के उत्पादन या निर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया (13 फरवरी 2003) कि स्व उपभोग किए गए ऐसे माल का मूल्य लागत लेखांकन मानक (सीएस 4) विधि के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

पुणे III आयुक्तालय में मै. ग्रेटवेल्ड स्टील ग्रेटिंग प्राइवेट लि. के वर्ष 2012-13 के लिए अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती अपनी संबंधित यूनिट को माल भेज रहा था। तथापि, निर्धारिती द्वारा उत्पादन की लागत का निर्धारण करने के लिए कोई लागत अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे। निर्धारिती को पूर्व पाँच वर्षों के लिए सीएस-4 के अनुसार उत्पादन की लागत का निर्धारण और अन्तर शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा की तिथि तक इस मामले पर विभाग द्वारा कोई एससीएन जारी नहीं किया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2014) आयुक्तालय ने निर्धारिती को 2009-10 से 2012-13 की अवधि कवर करते हुए ब्याज और शास्ति सहित ₹ 44.67 के अंतर शुल्क के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया (मई 2014)।

2.6.2 मालभाड़ा प्रभारों को शामिल न करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1994 की धारा 4(3) (डी) के अनुसार शुल्क लगाने के उद्देश्य से लेन देन मूल्य शब्द का अर्थ है बेचे गए माल के लिए वास्तव में दत्त या देय कीमत और इसमें बिक्री से संबंधित वह कोई भी राशि शामिल है जो

क्रेता द्वारा निर्धारिती को भुगतान की जाती है चाहे वह बिक्री के समय या किसी अन्य समय किया गया हो, इसमें परिवहन बीमा प्रभार इत्यादि शामिल हैं।

संशोधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2000 (शुल्क योग्य माल की कीमत का निर्धारण) आगे स्पष्ट करता है कि यदि फैक्ट्री माल निकासी की जगह नहीं है, तो फैक्ट्री से निकासी की जगह जैसे कि डिपो, परेषण एजेंट का परिसर इत्यादि तक परिवहन की लागत को उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से छोड़ा नहीं जा सकता है।

2.6.2.1 गुडगाँव आयुक्तालय में मै. एजीआर स्टील स्ट्रीपस प्राइवेट लिमिटेड के 2010-2013 की अवधि के लिए अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 1.61 करोड़ की राशि के भाड़ा प्रभार के साथ भंडार को परेषण एजेंटों को हस्तांतरित किया था।

बिक्री के बिन्दु तक माल भाड़ा प्रभारों अर्थात् परेषण परिसरों के स्थल को भी माल के मूल्य में शामिल किया जाना था। निर्धारण मूल्य से ऐसे प्रभारों को छोड़ देने के परिणामस्वरूप ₹ 17.36 लाख का कम शुल्क लगाया गया।

जनवरी 2014 में हमने इस बारे में बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.6.2.2 हमने पाया कि कानपुर आयुक्तालय में मै. रिमज़िम स्टेनलैस लिमिटेड, जो एम. एस. वायर रोड और एम. एस. वायर, एम. एस. बारस, स्टेनलैस स्टील रोड, शेप्स और सेक्शन इत्यादि का निर्माण करता है, ने 2010-13 के दौरान अपने डिपो से अन्तिम उत्पादों की निकासी की और ₹ 5.25 करोड़ के माल भाड़ा और गाड़ी प्रभार का भुगतान किया। निर्धारण मूल्य में इन प्रभारों के शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹ 64.84 लाख के उत्पाद शुल्क का कम भुगतान हुआ जो वसूली योग्य था।

हमने इसके बारे में जनवरी 2014 में बताया था मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.7 सेनवेट

2.7.1 सीमाशुल्क उपकर पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3 मूल सीमाशुल्क पर प्रभारित शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति नहीं देता।

वर्ष 2012-13 के लिए 14 निर्धारितियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि उन्होंने मूल सीमा शुल्क पर लगाए जाने वाले शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के सेनवेट क्रेडिट का लाभ और उपयोग किया था जोकि अयोग्य था। ₹ 54.88 लाख की राशि का अयोग्य क्रेडिट लागू ब्याज और शास्ति सहित वसूली योग्य है जैसा नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:-

तालिका 2.2

| क्रम सं. | निर्धारितियों की संख्या | आयुक्तालय | ₹ लाख में | | |
|-------------|-------------------------|--------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | लिया गया शिक्षा उपकर | लिया गया माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर | लिया गया कुल उपकर |
| 1 | 4 | कालीकट | 12.96 | 6.48 | 19.44 |
| 2 | 2 | कोचीन | 14.71 | 7.36 | 22.07 |
| 3 | 1 | तिरुवनंतपुरम | 3.56 | 1.78 | 5.34 |
| 4 | 2 | बोलपुर | 2.44 | | 2.44 |
| 5 | 3 | कोलकाता IV | 1.82 | | 1.72 |
| 6 | 2 | दिल्ली I | 3.77 | | 3.77 |
| जोड़ | | | 39.26 | 15.62 | 54.88 |

हमने इस बारे में जनवरी 2014 में बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.7.2 सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 2(i) इनपुट सेवा के दायरे से उन सेवाओं को जो (वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 के उप खण्ड (पी), (जेडएनजेडजेडएल) (जेड जेड क्यू), (जेड जेड जेड एच) (जेड जेड जेड जेड

ए) में विनिर्दिष्ट है, बाहर किया गया है जहां तक वह एक भवन या एक सिविल संरचना या उसके भाग के निर्माण के लिए और नींव डालने या पूंजीगत माल की सहायता के लिए संरचना बनाने के लिए प्रयोग होते हो।

2.7.2.1 कोलकाता-IV आयुक्तालय (पश्चिम बंगाल) में मै. भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ने उपरोक्त नियम के प्रावधान के उल्लंघन में सिविल निर्माण कार्यों के लिए इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट लिया था।

इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 34.81 लाख का सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

हमने इस बारे में नवम्बर 2013 में बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.7.2.2 इसी प्रकार बोलपुर आयुक्तालय में तीन निर्धारितियों नामतः मै. वीएसपी उद्योग प्रा. लि. दुर्गापुर, मै. शकम्भरी इस्पात एवं पावर लि. मादामदीह, मै. सोवा इस्पात लि. बंकुरा और कोलकाता आयुक्तालय में एक निर्धारती नामतः मै. आर्कवैक फोर्जकास्ट लि. पंचघरा ने 2011-13 में उपरोक्त नियम के प्रावधान के उल्लंघन में ₹ 16.93 लाख सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया। इस बारे में बताने पर मै. बीएसपी उद्योग प्रा. लि. दुर्गापुर ने ₹ 11.78 लाख के सेनवेट क्रेडिट को ₹ 3.07 लाख के ब्याज सहित वापिस किया।

हमने इस बारे में नवम्बर 2013 में बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था। (दिसम्बर 2014)।

इसके अलावा सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 2 (ए) कुछ उपकरण या सामान जो कार्यालय में प्रयोग होते हैं को पूंजीगत माल के दायरे में शामिल नहीं करता।

2.7.2.3 बोलपुर आयुक्तालय में मै. सेल इसको स्टील संयंत्र बर्नपुर ने 2012-13 की अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित नियम के उल्लंघन में पूंजीगत माल के रूप में मेजों, कुर्सियों इत्यादि पर क्रेडिट लिया, जिन्हें कार्यालय फर्नीचर के रूप में उपयोग किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उपकर सहित ₹ 5.59

लाख की राशि के पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

हमने इसके बारे में नवम्बर 2013 में बताया, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.7.3 सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/वापिस न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3(5) प्रदान करता है कि जब इनपुट या पूंजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, को 'उसी रूप से' फैक्ट्री से हटाया जाता है, तो निर्माता या सेवा प्रदाता ऐसे इनपुट या पूंजीगत माल पर लिए गए क्रेडिट लाभ के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

वर्ष 2012-13 के लिए जयपुर-I, इन्दौर और अहमदाबाद-III आयुक्तालयों के अभिलेखों की जांच के लिए चयनित 40 निर्धारितियों में से नौ मामलों में इनपुट/पूंजीगत माल के संबंध में ₹ 16.56 लाख के सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ के मामले पाए गए थे, जैसा नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:

तालिका 2.3

| क्रम सं. | निर्धारितियों की संख्या | आयुक्तालय | (₹ लाख में) | |
|-------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | शामिल राशि | वसूल की गई राशि |
| 1 | 7 | जयपुर -I | 12.83 | 9.73 |
| 2 | 1 | अहमदाबाद - III | 1.75 | 0.00 |
| 3 | 1 | इन्दौर | 1.98 | 1.98 |
| जोड़ | | | 16.56 | 11.71 |

जब हमने इसके बारे में बताया (नवम्बर/दिसम्बर 2013), पांच मामलों में ₹ 11.71 लाख की राशि की वसूली की गई थी और यह बताया गया कि बकाया मामलो की जांच की जाएगी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.8 शुल्क का भुगतान न करना/कम करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 8(3ए) के अनुसार यदि निर्धारित उप-नियम(1) में निर्धारित नियत तारीख से तीस दिनों से अधिक तक शुल्क के भुगतान में चूक जाता है तब सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 के कथित उप-नियम (1) और उप-नियम (4) में उल्लिखित

तथ्य के बावजूद निर्धारिती उस तिथि तक जब निर्धारिती इस पर ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करेगा, सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किए बिना निकासी के समय पर प्रत्येक खेप के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान करेगा और किसी विफलता की स्थिति में यह माना जाएगा कि ऐसे माल की निकासी शुल्क भुगतान के बिना कर दी गई थी और इन नियमों में उपलब्ध कराए गए परिणाम और शास्तियों का अनुसरण किया जाएगा।

अहमदाबाद III आयुक्तालय में मै. शैफाली स्टील लि. कलोल के मामले में, 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए यह पाया गया कि फरवरी 2011, सितम्बर 2011 और अक्टूबर 2011 के महीनों के लिए निर्धारिती के आरजी-1 रजिस्टर के अनुसार कुल शुल्क देयता उसके द्वारा वास्तव में दत्त शुल्क से अधिक थी। ईआर-1 रिटर्न में दर्शायी गई शुल्क देयताएं भी आरजी-1 रजिस्ट्रों की तुलना में कम दर्शाई गई थी। इस प्रकार उपरोक्त अवधि के लिए निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत रिटर्न पूरी तरह सही नहीं थी।

निर्धारिती के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में यह पाया गया कि उपरोक्त महीनों में कम शुल्क भुगतान की अभी तक वसूली नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.44 लाख तक के शुल्क का कम भुगतान हुआ जो निम्नानुसार है:-

तालिका 2.4

| (₹ करोड़ में) | | | |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| महीना | आरजी-1 के अनुसार देय शुल्क | ईआर-1 रिटर्न के अनुसार दत्त शुल्क | कम भुगतान |
| फरवरी, 2011 | 59.76 | 53.81 | 5.95 |
| सितम्बर, 2011 | 83.29 | 77.90 | 5.39 |
| अक्टूबर, 2011 | 32.27 | 31.17 | 1.1 |
| जोड़ | 175.32 | 162.88 | 12.44 |

जब हमने इस बारे में बताया (नवम्बर 2013) आयुक्तालय ने बताया (दिसम्बर 2013) कि निर्धारिती से फरवरी 2011 और सितम्बर 2011 के महीने के लिए ब्याज सहित ₹ 16.63 लाख की राशि की वसूली कर ली गई थी।

2.9 सेवा कर संबंधी मामले

2.9.1 सेवाओं जिन पर प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवाकर देय हैं, के अन्तर्गत गैर पंजीकरण

सेवा कर “प्रतिलोम प्रभार” सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 2(1) (डी) के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68(2) के तहत प्रारंभ किया गया था। 1 जुलाई 2012 से प्रभावी दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना के अनुसार निर्माण कार्य अनुबंध के तहत सुरक्षा एजेंसी सेवा मरम्मत और अनुरक्षण, व्याक्तिगत वकीलों द्वारा कानूनी सेवाओं इत्यादि को प्रतिलोम प्रभार के तहत लाया गया था। सेवा प्राप्तकर्ता को पंजीकरण प्राप्त करना और उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में निर्धारित प्रतिलोम प्रभार के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान करण अपेक्षित था। ₹ 10 लाख की छूट सीमा प्रतिलोम प्रभार तंत्र के तहत सेवा कर के भुगतान के लिए दायी निर्धारिती के लिए उपलब्ध नहीं थी।

रायपुर और बोलपुर आयुक्तालयों में निर्धारितियों के 31 मामलों, जिनके वर्ष 2012-13 के लिए अभिलेखों की जांच की गई थी, में से पाँच, अध्याय 72 एवं 73 के तहत आने वाले लौह और इस्पात के निर्माण में लगे निर्धारितियों के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि इन निर्धारितियों ने वर्ष 2012-13 के दौरान अपने निदेशको को कुल ₹ 89.35 करोड़ के पारिश्रमिक/कमीशन का भुगतान किया था। तथापि, उन्होंने रिवर्स चार्ज तंत्र के अन्तर्गत किसी सेवा कर का भुगतान नहीं किया था जो कुल मिलाकर ₹ 10.98 करोड़ बनता है जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 2.5

| (₹ लाख में) | | | | |
|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम | आयुक्तालय का नाम | भुगतान किया गया कुल पारिश्रमिक | भुगतान योग्य सेवा कर |
| 1. | मै.जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड | रायपुर | 8,287.00 | 1,024.23 |
| 2. | मै.प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड | रायपुर | 438.58 | 54.21 |
| 3. | मै.स्टार एलाय | रायपुर | 35.00 | 4.33 |
| 4. | मै.रायगढ़ इस्पात एंड पावर लिमिटेड | रायपुर | 18.00 | 2.22 |
| 5. | मै. मैथन अलॉयज लिमिटेड | बोलपुर | 156.17 | 12.53 |
| | कुल | | 8,934.75 | 1,097.52 |

हमने नवम्बर 2013 तथा जनवरी 2014 में इसे दर्शाया था, मंत्रालय/ आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

2.9.2 जीटीए पर सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1) (डी) (i) (बी) के अनुसार सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में एक माल परिवहन एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई अथवा उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवा के संबंध में सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति वह व्यक्ति है जो सड़क के माध्यम से एक मालवाहक में ऐसे माल के परिवहन के लिए स्वयं अथवा अपने एजेन्ट के माध्यम से भाड़े का भुगतान करता है अथवा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

दिनांक 1 मार्च 2008 की अधिसूचना द्वारा सेवा उपलब्ध कराने के लिए माल परिवहन एजेन्सी द्वारा प्रभारित सकल राशि के 75 प्रतिशत पर कर से बिना शर्त छूट प्रदान की गई है।

भुवनेश्वर-II आयुक्तालय में जीटीए (माल परिवहन एजेन्सी) के तहत पंजीकृत मै. कानकॉस्ट स्टील एण्ड पावर लि., झारसुगुडा के वर्ष 2012-13 के सेवा कर अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती द्वारा आवक सामग्री, तैयार माल/उत्पाद के जावक प्रेषण इत्यादि के परिवहन से संबंधित ₹ 23.41 करोड़ के परिवहन प्रभारों का भुगतान अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान परिवाहको को किया गया था। तथापि, निर्धारिती द्वारा ₹ 72.32 लाख (₹ 23.41 करोड़ के 25 प्रतिशत का 12.36 प्रतिशत) राशि के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने यह बताया (सितम्बर 2013), आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2014) तथा ₹ 12.80 लाख के ब्याज सहित आपत्ति वाली राशि की वसूली की सूचना दी।

अध्याय III

पेट्रोलियम, तेल तथा स्नेहक उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

3.1 प्रस्तावना

पेट्रोलियम क्षेत्र के तहत कवर किये गए खनिज ईंधन, खनिज तेल तथा उनके आसवन के उत्पाद, बिटुमिनस पदार्थ तथा खनिज मोम को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के अध्याय 27 के तहत वर्गीकृत किया गया है। इन उत्पादों को व्यापक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, (i) कच्चा तेल (ii) तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) एण्ड (iii) पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहक (पीओएल) उत्पाद। जहाँ कच्चा तेल तथा एलएनजी प्राकृतिक रूप से प्राप्त किये जाते हैं, वही पीओएल उत्पाद परिष्करण/विनिर्माण के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं। वि. व. 14 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से कुल निवल राजस्व प्राप्तियों में, पेट्रोलियम क्षेत्र का भाग 50 प्रतिशत से अधिक था।

3.2 पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क संरचना

वित्त बिल 2005 में, एमएस एवं एचएसडी के संबंध में शुल्क संरचना को शुल्क की पिछली यथामूल्य दर के बदले में शुल्क की विशिष्ट तथा यथामूल्य दरों के संयोजन में परिवर्तित किया गया था। मार्च 2008 से पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क दरों को विशिष्ट बनाया गया था। नाफथा, फर्नेस ऑयल, कम सल्फर, भारी स्टॉक इत्यादि जैसे उत्पाद अन्तिम उपयोग के आधार पर शुल्क योग्य एवं छूट प्राप्त दोनों हैं। 31 मार्च 2014 को मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गए शुल्क नीचे दिये गये हैं:

तालिका-3.1

| क्रम सं. | उत्पाद का नाम | सीमा शुल्क | उत्पाद शुल्क |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | कच्चा तेल | शून्य + एनसीसीडी के रूप में ₹ 50/एमटी | शून्य + एनसीसीडी के रूप में ₹ 50/एमटी तथा उपकर के रूप में ₹ 45,00/एमटी |
| 2 | पेट्रोल | 2.5 प्रतिशत | ₹ 9.48/लीटर |
| 3 | डीजल | 2.5 प्रतिशत | ₹ 3.56/लीटर |
| 4 | सुपीरियर केरोसीन तेल (पीडीएस) | शून्य | शून्य |
| 5 | सुपीरियर केरोसीन तेल (गैर पीडीएस) | 5 प्रतिशत | 14 प्रतिशत |
| 6 | घरेलू रसोई गैस | शून्य | शून्य |
| 7 | गैर घरेलू रसोई गैस | 5 प्रतिशत | 8 प्रतिशत |
| 8 | फर्नेस ऑयल | 5 प्रतिशत | 14 प्रतिशत |
| 9 | नाफ्था | 5 प्रतिशत | 14 प्रतिशत |
| 10 | एटीएफ | शून्य | 8 प्रतिशत |

3.3 पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण

केन्द्र सरकार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों (डीजल, घरेलू तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केरोसीन) के मूल्यों को नियंत्रित करती है। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर जून 2006 से डीजल का मूल्य व्यापार समतुल्यता मूल्य (टीपीपी) के अनुसार निर्धारित है, जो आयात समतुल्यता मूल्य (आईपीपी) का 80 प्रतिशत तथा निर्यात समतुल्यता मूल्य (ईपीपी) का 20 प्रतिशत है। पारेख समिति की सिफारिश के अनुसार जून 2010 से, पेट्रोल का मूल्य भी बाजार द्वारा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, 19 अक्टूबर 2014 से डीजल का मूल्य भी बाजार द्वारा निर्धारित है। सरकार राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारित करती है। संवेदनशील उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस से अलग शेष उत्पादों का मूल्य प्रशासित मूल्य तंत्र के तहत संबंधित उत्पादक एवं विक्रेता निर्धारित करते हैं।

3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य

- i. पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित उत्पाद शुल्क के उदग्रहण, निर्धारण तथा संग्रह के संबंध में समय समय पर जारी किये गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों/व्यापार ज्ञापनों की पर्याप्तता तथा अनुपालन सुनिश्चित करना;
- ii. क्या विधि के मौजूदा प्रावधानों का पर्याप्तता से अनुपालन किया जा रहा है;
- iii. क्या वहाँ एक प्रभावशाली निगरानी तथा आन्तरिक नियंत्रण तंत्र था।

3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा कवरेज

लेखापरीक्षा के लिए, हमने 35 आयुक्तालय तथा उन आयुक्तालयों के अन्तर्गत कार्य कर रहे कुछ सहायक कार्यालयों का चयन किया। लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या चयनित आयुक्तालयों, डिविजन तथा रेंज कार्यालयों में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र यथास्थान थे एवं प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहे थे।

निर्धारितियों द्वारा दर्ज कराए गए उत्पाद शुल्क रिटर्नों की संवीक्षा के माध्यम से रेंज कार्यालय स्तर पर अनुपालना जाँच तंत्र की प्रभावशीलता की नमूना जांच की गई थी। विभागीय कार्यालयों तथा कुछ चयनित निर्धारितियों के परिसरों दोनों में शुल्क के उचित निर्धारण एवं उदग्रहण तथा संग्रह हेतु अभिकल्पित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन की नमूना जाँच की गई थी।

2010-11 से 2012-13 की अवधि कवर की गई थी। हमने अगस्त 2014 में मंत्रालय को मसौदा रिपोर्ट जारी की।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने छूट की अनियमित प्राप्ति, बकाया की वसूली ना होना, शुल्क का भुगतान कम/ना होना, सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति इत्यादि के मामले देखे जिनमें ₹ 7.12 करोड़ का राजस्व शामिल है। विभाग ने ₹ 4.44 करोड़ के राजस्व वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) तथा इसकी वसूली की। मुख्य निष्कर्षों पर आगे चर्चा की गई है:

3.6 शुल्क का भुगतान न करना/कम करना

3.6.1 विभिन्न बिन्दुओं पर कच्चे तेल पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी का उदग्रहण)

हमने देखा कि जिस परिमाण पर एनसीसीडी लगाया गया है, वह सभी आयुक्तालयों में एक समान नहीं है। जयपुर ॥ में मै. कायरन इण्डिया लिमिटेड के मामले में प्रोसेसिंग टर्मिनल से प्रेषित सकल मात्रा पर एनसीसीडी का भुगतान किया गया था जबकि तिरुचिरापल्ली आयुक्तालय में मै. ओएनजीसी के मामले में, रिफाइनरियों द्वारा प्राप्त की गई निवल मात्रा पर एनसीसीडी का भुगतान किया गया था, ना कि निर्धारिती द्वारा तेल क्षेत्र से प्रेषित सकल मात्रा पर। विभिन्न बिन्दुओं पर एनसीसीडी के उदग्रहण की भिन्न भिन्न पद्धति के परिणामस्वरूप एनसीसीडी का अधिक/कम उदग्रहण हुआ।

विभिन्न आयुक्तालयों में विभिन्न बिन्दुओं पर एनसीसीडी के उदग्रहण में भिन्नता को सुधारात्मक उपायों के लिए विभाग के संज्ञान में लाया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.6.2 पाईपलाइन हस्तांतरणों में इन्टरफेस एसकेओ पर उत्पाद शुल्क

पाईपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पम्पिंग की उत्पाद दर उत्पाद कार्यपद्धति के द्वारा की जाती है तथा ऐसी स्थिति में एक उत्पाद के साथ दूसरा मिल जाना अपरिहार्य है। तथापि, एक उत्पाद के लेखांकन को योजना में, इन्टरफेस उत्पाद (मिश्रित उत्पाद) पर भुगतान योग्य शुल्क अलग होगा। अतः बोर्ड ने दिनांक 22 अप्रैल 2002 के परिपत्र सं. 636/27/2002 सीएक्स में स्पष्ट किया था कि पाईलाइन हस्तारण के समय उत्पादों के मिश्रित हो जाने की स्थिति में, दोनों शुल्कों में से उच्चतर अर्थात् वाँछित उद्देश्य हेतु प्रयोग ना किये गए सुपीरियर केरोसीन तेल (एसकेओ) पर भुगतान योग्य शुल्क तथा तीव्रगति डीजल अथवा मोटर स्पीरिट पर भुगतान योग्य शुल्क, मिश्रित/इन्टरफेस मात्रा के लिए भुगतान योग्य होगा। अन्य शब्दों में एसकेओ एवं एचएसडी अथवा एमएस और नाफथा जैसा की मामला हो, के

मिश्रित भाग के शुल्क की गणना की जानी चाहिए तथा दोनों मूल्यों में से उच्चतर को जमा किया जाना चाहिए।

3.6.2.1 मै. बीपीसीएल-कोच्ची रिफाइनरी ने तीन अधिष्ठापनों पर एसकेओ (पीडीएस) के प्रेषण एवं प्राप्ति की मात्राओं में अन्तर से संबंधित डाटा प्रस्तुत किया (जुलाई 2008 से दिसम्बर 2012 तक की अवधि के लिए बीपीसीएल अधिष्ठापन के संबंध में तथा जनवरी 2008 से आईओसीएल तथा एचपीसीएल अधिष्ठापनों के संबंध में)।

लेखापरीक्षा ने दिनांक 29 जुलाई 2013 के कारण बताओ ज्ञापन से देखा कि यह जुलाई 2008 से प्रारंभ अवधि के लिए बीपीसीएल-कोच्ची रिफाइनरी से एचपीसीएल तथा आईओसीएल अधिष्ठापनों को प्रेषित एसकेओ (पीडीएस) की इन्टरफेस मात्राओं से संबंधित था। हांलाकि बीपीसीएल अधिष्ठापनों के संबंध में अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2012 की अवधि के लिए ₹ 68.81 लाख वाले इसी मुद्दे को कारण बताओ ज्ञापन में शामिल नहीं किया गया था जो माँग ना उठाने की और संकेत करता है।

इसके अतिरिक्त, निर्धारिती के गणना पत्र पर विश्वास करते हुए मै. बीपीसीएल-केआर को कारण बताओ ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें मिश्रित मात्रा के संबंध में शुल्क की गणना एचएसडी तथा एसकेओ के संबंध में दोनो शुल्कों में से उच्चतर की गणना करने के बजाए अकेले एचएसडी के आधार पर की गई थी। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 2008 से दिसम्बर 2012 की अवधि के लिए ₹ 14.55 लाख की कम माँग हुई।

विभाग द्वारा विलम्बित पहचान के कारण, आईओसीएल तथा एचपीसीएल अधिष्ठापनों को केवल जुलाई 2008 से आगे की अवधि के लिए एससीएन जारी किये गए थे। आईओसीएल तथा एचपीसीएल के संबंध में जनवरी 2008 से जून 2008 तक के छह महीनों के लिए काल बाधित हो गया शुल्क ₹ 7.91 लाख बनता था। इसके अतिरिक्त, आयुक्तालय द्वारा बीपीसीएल अधिष्ठापन के संबंध में, नाफथा तथा एमएस के पाईपलाईन हस्तांतरण के दौरान इन्टरफेस नाफथा पर उच्चतर शुल्क पर भी विचार नहीं किया गया था। अतः आयुक्तालय की तरफ से कार्यवाही ना होने के कारण शुल्क की माँग नहीं की जा सकी थी।

हमने अक्टूबर 2013 में यह बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.6.2.2 गुवाहाटी आयुक्तालय में, मै. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एमएस तथा एचएसडी उत्पादों के मिश्रित होते समय एसकेओ दोनों 'उत्पादों' के बीच इन्टरफेस के रूप में पाईपलाईन डिलीवरी के माध्यम से विभिन्न स्थानों के लिए जाता है। इसके अतिरिक्त, इन्टरफेस उद्देश्य के लिए इस प्रकार प्रयुक्त एसकेओ हल्दिया, गुजरात, पानीपत, मथुरा तथा बरौनी स्थित विभिन्न आईओसीएल रिफाइनरियों से पाईपलाईन के माध्यम से पीडीएस केरोसीन के रूप में आता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि क्योंकि पीडीएस केरोसीन गैर-पीडीएस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था, निर्धारिती ने दिनांक 13 मई 2012 की छूट अधिसूचना (अर्थात् उत्तर पूर्वी क्षेत्र को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से सामान्य दर की 50 प्रतिशत की छूट दी गई है) का लाभ प्राप्त करने के बाद इन्टरफेस केरोसीन के लिए शुल्क का भुगतान किया था तथा गैर पीडीएस केरोसीन के रूप में 7 प्रतिशत यथामूल्य (प्रचलित दर) की दर पर शुल्क का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चूँकि केरोसीन उत्तर पूर्वी क्षेत्र से बाहर स्थित विभिन्न आईओसीएल रिफाइनरियों से निर्मित एवं स्वीकृत था, उक्त रिफाइनरियों द्वारा पूरी प्रचलित दर पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाना था जो 12 प्रतिशत थी जहाँ से केरोसीन पीडीएस उद्देश्य से प्रयोग हेतु शुल्क की 'शून्य' दर पर स्वीकृत किया गया था परन्तु अन्ततः गैर-पीडीएस उद्देश्य से प्रयोग किया गया।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2013) तब आयुक्तालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2013) कि उक्त पाँच रिफाइनरियाँ जहाँ से एसकेओ प्रारम्भ से ही निकासी किया गया था वहाँ 2011-12 के दौरान किए गए निकास के लिए ₹ 3.42 करोड़ की राशि के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान ब्याज सहित किया गया (अप्रैल-मई 2013 में)।

3.6.3 स्क्रेप की निकासी पर शुल्क

प्रयोग के पश्चात पूँजीगत माल से सृजित स्क्रेप पर शुल्क लगता है। इस तथ्य से कि आयात पर ऐसे माल पर सेनवेट प्राप्त नहीं किया गया था, ऐसे पूँजीगत माल के प्रयोग से सृजित स्क्रेप पर शुल्क के उदग्रहण के संबंध में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता।

त्रिचची आयुक्तालय में मै. ऑयल एण्ड नैचुरल गैस (ओएनजीसी) ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 3.75 करोड़ की राशि का विविध स्टील स्क्रेप (अध्याय 72) तथा बेकार तेल (अध्याय 27) बेचा। तथापि, ऐसे निराकरणों पर भुगतान योग्य ₹ 41.88 लाख की राशि के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था जैसा कि तीन वर्षों के लिए ईआर 1 विवरणियों से सत्यापित किया गया। इस राशि के उदग्रहण तथा ब्याज सहित संग्रह की आवश्यकता है।

हमने दिसम्बर 2013 में इसे बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7 सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति

3.7.1 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 2(1) इनपुट सेवा की इस प्रकार व्याख्या करता है:-

“ (क) आउटपुट सेवा के प्रदाता द्वारा एक आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त तथा (ख) अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण एवं निकास के स्थान तक अन्तिम उत्पादों की मंजूरी में अथवा के संबंध में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक विनिर्माता द्वारा प्रयुक्त” परन्तु ऐसी सेवा को शामिल नहीं करता जो आउटडोर केटरिंग, सौन्दर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएँ, कारस्मेटिक एवं प्लास्टिक सर्जरी, एक क्लब की सदस्यता, स्वास्थ्य तथा फिटनेस केन्द्र, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा इत्यादि के संबंध में उपलब्ध कराई गई।

मै. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, पानीपत रिफानरी ने रोहतक आयुक्तालय में 2012-13 में कुछ सेवाओं जैसे होटल, क्लब, आरामगृह सेवा, कैन्टीन चलाने तथा सामान्य हाऊसकीपिंग सेवाओं पर ₹ 11.39 लाख की राशि का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया तथा प्रयोग किया जो उपरोक्त नियम के अनुसार

इनपुट सेवाओं के दायरे में नहीं आती थीं। अतः उपरोक्त सेवाओं पर प्राप्त/प्रयुक्त सेनवेट क्रेडिट अनियमित था तथा ब्याज सहित लौटाया जाना चाहिए।

हमने अक्टूबर 2013 में यह बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7.2 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 2(1), वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खण्ड (105) के उप-खण्ड (पी) (जेडएन) (जेडजेडएल), (जेडजेडएम), (जेडजेडक्यू), (जेडजेडजेडएच), (जेडजेडजेडजेडए) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को इनपुट सेवा के दायरे से बाहर करता है यदि वे एक भवन अथवा एक सिविल ढाँचे अथवा इसके एक भाग के निर्माण एवं पूँजीगत माल की सहायतार्थ ढाँचे के निर्माण अथवा नीव रखने के लिए प्रयुक्त की गई हो।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(1) (ii) (ए) के अनुसार वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 ई के खण्ड (बी) के तहत सूचीबद्ध सेवा सहित निर्माण संविदा एवं निर्माण सेवाओं के कार्यान्वयन में सेवा का हिस्सा इनपुट सेवा के रूप में पात्र नहीं है यदि वह (ए) एक भवन अथवा एक सिविल ढाँचे अथवा उसके एक भाग की निर्माण संविदा के कार्यान्वयन अथवा निर्माण अथवा (बी) पूँजीगत माल की सहायतार्थ ढाँचों के निर्माण अथवा नीव रखने के लिए प्रयोग हुआ हो।

3.7.2.1 हल्दिया आयुक्तालय में मै. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि., हल्दिया रिफानरी ने उपरोक्त नियम प्रावधान के उल्लंघन में सिविल निर्माण कार्यों के लिए प्रस्तुत इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट लिया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 41.83 लाख (शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर सहित) की राशि के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति की गई।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2013) तो निर्धारिती ने तथ्य स्वीकार करते हुए केवल ₹ 1.15 लाख ही लौटाए। निर्धारिती, द्वारा भुगतान योग्य ₹ 40.68 लाख की शेष राशि की वसूली नहीं हुई थी। निर्धारिती सेनवेट क्रेडिट की ऐसी

अनियमित प्राप्ति के लिए सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 14 के तहत ब्याज भुगतान करने का भी उत्तरदायी था।

यह ममला बताया गया था (अगस्त 2013)। मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7.2.2 कोचीन आयुक्तालय में मै. बीपीसीएल-केआर ने वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान, 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी संशोधित सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियमावली का उल्लंघन करते हुए इनपुट सेवाओं के लिए भुगतान किये गए सेवा कर पर ₹ 20.48 लाख की राशि का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया एवं प्रयोग किया।

जब हमने यह बताया (अक्टूबर 2013), तो आयुक्तालय ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि सिविल कार्यों के लिए सेनवेट क्रेडिट योग्य है जो मरम्मत/पुनरुद्धार संशोधन श्रेणी की हैं। यह भी बताया गया था कि कुल राशि में से ₹ 13.95 लाख सही थे तथा ₹ 0.83 लाख सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के तहत लौटाए गए थे। आयुक्तालय ने आगे बताया कि ₹ 5.68 लाख की एक राशि नवम्बर 2013 में लौटाई गई थी तथा ब्याज का भुगतान प्रतीक्षित था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7.2.3 कोचीन आयुक्तालय में मै. बीपीसीएल-केआर ने 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी संशोधित सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियमावली के उल्लंघन में कर्मचारियों को दी गई परिवहन सुविधाओं, कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज, कैन्टीन में हाउसकीपिंग तथा मरम्मत कार्यों, कर्मचारियों के लिए कल्याण गतिविधियों, सीआईएसएफ स्टाफ को दी गई सुविधाओं, ज्वालागिरि तथा सीआर स्कूल में मरम्मत कार्यों इत्यादि के संबंध में सेवाओं के लिए ₹ 14.29 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया एवं उपयोग किया।

जब हमने यह बताया (अक्टूबर 2013), आयुक्तालय ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि निर्धारित ने वर्ष 2010-11 तथा 2012-12 के लिए ₹ 8.97 लाख लौटाए थे तथा ₹ 5.31 लाख की एक राशि वर्ष 2011-12 के लिए सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने हेतु पात्र थी क्योंकि यह वाटर कूलरों पर एएमसी पर ली

गई थी जो प्रत्यक्ष रूप से निर्माण के संबंध में तथा कैन्टीन सुविधाओं पर थी जो फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार अनिवार्य थी।

आयुक्तालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1 अप्रैल 2011 से इनपुट सेवाओं में प्राथमिक रूप से व्यक्तिगत प्रयोग अथवा एक कर्मचारी की खपत के लिए प्रयुक्त सेवाएँ शामिल नहीं होंगी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7.3 दिनांक 1 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार, एक भवन अथवा एक सिविल ढाँचे अथवा उसके एक भाग के निर्माण के लिए, अथवा पूँजीगत माल की सहायतार्थ नीव रखने अथवा ढाँचों के निर्माण के लिए प्रयुक्त कार्य संविदा सेवाएँ, निर्माण सेवाएँ एवं वास्तुशिल्पीय पमरामर्शदायी सेवाएँ इनपुट सेवाओं की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आएँगी, अतः 1 अप्रैल 2011 से सेनवेट क्रेडिट हेतु पात्र नहीं थी।

मै. बीपीसीएल-केआर द्वारा निर्माण संविदा तथा निर्माण सेवा फर्मों की नियुक्ति द्वारा एकीकृत रिफाइनरी विस्तारण परियोजना (आईआरईपी) कार्यान्वित की गई है। 10 मुख्य परियोजना कार्यों की नमूना जाँच से पता चला कि 2 निर्माण संविदा परियोजनाओं के संबंध में (परियोजना 4503490792 साईट ग्रेडिंग, सडके, ड्रेन तथा आईआरईपी हेतु अन्य विविध कार्य ठेकेदार: ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई) लि. एवं आईआरईपी स्थान हेतु पाइलिंग कार्य ठेकेदार: डीबीएम जिओटेकनिक्स एण्ड कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड) सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियमावली, 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन में 2012-13 के दौरान ₹ 46.59 लाख की राशि के पाइलिंग कार्य हेतु तथा ₹ 39.88 लाख की राशि के सिविल संरचनागत तथा वास्तुशिल्पीय कार्यों से संबंधित आयोग्य इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया तथा प्रयोग किया।

जब हमने यह बताया (अक्टूबर 2013), तो आयुक्तालय ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि निर्धारिती, आवासों/पानी की टंकियों के विनष्टीकरण, पेड़ों की कटाई, ड्रेन एवं पक्की दीवारों के निर्माण सुरक्षा के उद्देश्य से आर आर मैसनरी दीवारों के कार्य पर भुगतान किये गए सेवा कर पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने तथा उपयोग करने के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, आयुक्तालय ने पाइलिंग

कार्य से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा ₹ 46.59 लाख की वसूली की सूचना दी।

आयुक्तालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर दर्शायी गई सभी गतिविधियाँ सिविल निर्माण के तहत आएँगी, अतः 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी इनपुट सेवा क्रेडिट हेतु पात्र नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7.4 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(2) (ए) के अनुसार, दिये गए वित्तीय वर्ष में किसी भी समय पर एक फैक्ट्री में प्राप्त पूँजीगत माल के संबंध में सेनवेट क्रेडिट उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे पूँजीगत माल पर भुगतान किये गए शुल्क के पचास प्रतिशत से कम की एक राशि के लिए ही लिया जाएगा।

हल्दिया आयुक्तालय में मै. इण्डियन ऑयल पेट्रोनास प्रा. लि. ने पूँजीगत माल (मशीनरी के कलपुर्जों) पर उसी वित्तीय वर्ष (2012-13) में जिसमें यह प्राप्त हुआ था, पूँजीगत माल के मूल्य के 50 प्रतिशत पर अनुमत क्रेडिट के प्रति 100 प्रतिशत क्रेडिट लिया था। इसके परिणामस्वरूप 2012-13 की अवधि के लिए ₹ 9.64 लाख के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति हुई। निर्धारिती उपरोक्त नियम 14 के तहत ऐसी अनियमितता के लिए ब्याज के भुगतान हेतु भी उत्तरदायी था।

मामला बताया गया था (सितम्बर 2013), मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7.5 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 6(5) प्रावधान करता है कि उप-नियम (1), (2) तथा (3) में दिए गए किसी तथ्य के बावजूद भी, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खण्ड (105) के उप-खण्ड (जी), (पी), (क्यू) (आर), (वी), (डब्ल्यू), (जेडए), (जेडएम), (जेडपी), (जेडवाई), (जेडजेडडी), (जेडजेडजी), (जेडजेडएच), (जेडजेडआई), (जेडजेडके), (जेडजेडक्यू) तथा (जेडजेडआर) में विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं पर भुगतान किये गए सेवा कर का सारा क्रेडिट अनुमत होगा यदि ऐसी सेवा छूट प्राप्त माल के निर्माण

अथवा छूट प्राप्त सेवा उपलब्ध कराने में अथवा कराने के संबंध में प्रयुक्त ना हुई हो।

उपरोक्त उप-नियम (5) दिनांक 01 मार्च 2011 की अधिसूचना द्वारा 1 अप्रैल 2011 से हटा दिया गया है।

वडोदरा-1 आयुक्तालय में मै. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. शुल्क योग्य तथा छूट प्राप्त दोनों तैयार माल की निकासी कर रही थी। निर्धारिती के वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के बीजकों तथा इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट के आरजी-23 की नमूना जाँच से पता चला कि निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(5) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में वर्ष 2011-12 के दौरान 100 प्रतिशत सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था क्योंकि सेवा उपलब्ध कराने की अवधि 01 अप्रैल 2011 से पहले की थी। यह भी आगे यह देखा गया था कि उपरोक्त सेवाओं के अलावा, निर्धारिती ने समान आधार पर कुछ सेवाओं अर्थात्, श्रमबल भर्ती एवं आपूर्ति एजेन्सी सेवा (के), रेंट-ए-कैब योजना परिचालक की सेवा (ओ), व्यापार सहायक सेवा (जेडजेडबी), निर्माण संविदाओं के कार्यान्वयन से संबंधित सेवाएं (जेडजेडजेडजेडए) तथा साकार माल की आपूर्ति सेवा (जेडजेडजेडजेडजे) के संबंध में 100 प्रतिशत सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। यद्यपि, ये सेवाएँ सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(5) के अन्तर्गत कवर नहीं थी। अतः निर्धारिती के लिए केवल तैयार माल की निकासी हेतु भुगतान किये गए शुल्क पर आरोप्य सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना अपेक्षित था। जैसा कि सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया गया था, निर्धारिती 2011-12 के दौरान इनपुट सेवाओं के कुल सेनवेट क्रेडिट के 91 प्रतिशत की दर पर सेनवेट प्राप्त करने का पात्र था।

हमने आगे देखा कि सितम्बर एवं अक्टूबर 2012 के दौरान, निर्धारिती ने तैयार माल की निकासी हेतु भुगतान किये गए शुल्क पर आरोप्य 91 प्रतिशत के सेनवेट क्रेडिट के प्रति तीन प्रविष्टियों के मामले में 100 प्रतिशत सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने उसी इनपुट सेवा का एक प्रतिशत अधिक सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था जैसे कि उसने 91 प्रतिशत सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया हो (जैसा कि सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया गया था, निर्धारिती 2012-13 के दौरान इनपुट सेवाओं के कुल सेनवेट क्रेडिट

के 92 प्रतिशत की दर पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने का पात्र था, अतः निर्धारित उन मामलों में 1 प्रतिशत के सेनवेट क्रेडिट का अन्तर प्राप्त करने का पात्र था, जहाँ उसने 91 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त किया था। 92 प्रतिशत के सही क्रेडिट के प्रति कुल 101 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.12 लाख (उपकर सहित) के सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति की गई। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 एबी के तहत ब्याज भी उदग्रहणीय है।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2013), आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (फरवरी 2014) तथा सूचित किया कि निर्धारित ने ₹ 5.69 लाख के ब्याज सहित ₹ 16.81 लाख लौटा दिये।

3.7.6 सीसीई, नई दिल्ली बनाम एविस इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. के मामले में बड़ी बेंच के निर्णय के मद्देनजर फोटोकॉपी के आधार पर क्रेडिट अस्वीकार्य था।

दिनांक 13 फरवरी 1995 का सीबीईसी परिपत्र (पैरा 10(डी)) भी निर्धारित करता है कि किसी भी परिस्थिति में फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

हमने देखा कि पटना आयुक्तालय में इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि. बरौनी ने कर बीजकों की फोटोकॉपी, जो अयोग्य दस्तावेज हैं, के आधार पर 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 13.52 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। इसके परिणामस्वरूप अयोग्य दस्तावेजों पर ₹ 13.52 लाख के सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति एवं प्रयोग हुआ।

हमने सितम्बर 2013 में इसे बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7.7 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 6(1) निर्धारित करता है कि ऐसे अन्तिम माल के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट/इनपुट सेवाओं पर विनिर्दिष्ट शुल्क का कोई क्रेडिट अनुमत नहीं होगा जो छूट प्राप्त है अथवा शुल्क की 'शून्य' दर हेतु प्रभार्य हैं।

रोहतक आयुक्तालय में खनिज तेल/ईंधन के विनिर्माण में लगी मै. आईओसीएल, पानीपत ने विद्युत का सृजन किया। इसे आंशिक रूप से मै.

एयर लिक्विड इण्डस्ट्रीज वेल्जियम एण्ड ब्रुसेल्स को बेचा गया जिसने आईओसीएल के लिए एक नाफ्था क्रेकर संयंत्र निर्मित किया तथा परिचालित किया तथा आंशिक रूप से संयंत्र में प्रयोग किया गया परन्तु निर्धारिती ने फैक्ट्री में खपत की गई तथा बाहर बेची गई विद्युत के लिए अलग खाता नहीं बनाया था। मै. आईओसीएल ने 2010-11 से 2012-12 के वर्षों के दौरान ₹ 302.89 करोड़ राशि के ऊर्जा प्रभार वसूल किये। इसके लिए प्राप्त किया गया सेनवेट क्रेडिट ब्याज एवं शास्ति, जैसा नियमों के तहत उचित हो, सहित निर्धारिती से वसूली योग्य था ।

हमने अक्टूबर 2013 में इसे दर्शाया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.8 ब्याज का अनुद्ग्रहण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11एबी के अनुसार, जहाँ उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति ने इसका भुगतान नहीं किया अथवा विलम्बित भुगतान किया था, वह शुल्क के अतिरिक्त, समय समय पर प्रचलित दर पर ब्याज का भुगतान करने का उत्तरदायी है। नियत तिथि से अगले दिन से ऐसे शुल्क के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए ब्याज भुगतान होगा। ब्याज की प्रभावी दर 13 मार्च 2011 तक 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष थीं तथा 1 अप्रैल 2011 से अब तक 18 प्रतिशत है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने दिनांक 28 जुलाई 2003 के परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया है कि जहाँ मूल्यों में संशोधन के कारण पूरक बीजक प्रस्तुत किये गए हैं तथा ऐसे पूरक बीजकों के मूल्यों पर अन्तर संबंधी शुल्क प्रस्तुत किये गए हैं, वहाँ धारा 11 एबी के तहत अन्तर संबंधी मूल्य पर ब्याज भी भुगतानयोग्य है।

चार निर्धारितियों- मै. एस्सार ऑयल लि., वाडीनार (राजकोट आयुक्तालय), मै. टिकी टार इण्ड. (बड़ोदा) लि. (वडोदरा-॥ आयुक्तालय), मै. आईओसीएल, कोयली (वडोदरा-॥ आयुक्तालय) तथा मै. अनामिका आयल प्रा. लि., जयपुर (जयपुर आयुक्तालय) ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान

अनियमित रूप से प्राप्त किये गए सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से भुगतान किये गए/विलम्ब से भुगतान किये गए उत्पाद शुल्क पर ₹ 16.78 लाख की राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया था।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2013 से अक्टूबर 2013), आयुक्तालय ने मै. एस्सार ऑयल लि. तथा मै. आईओसीएल संबंधित दो मामलों में ₹ 15.93 लाख की वसूली की सूचना दी (अक्टूबर 2013 एवं फरवरी 2014) तथा शेष मामलों में मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

अध्याय IV

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा

4.1 प्रस्तावना

सीबीईसी ने 1996 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में स्व-निर्धारण प्रारंभ किया। स्व-निर्धारण की शुरुआत के साथ, विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा के साथ एक मजबूत अनुपालन जाँच तंत्र के लिए प्रावधान भी किया। चूंकि, अब निर्धारण निर्धारिती का उत्तरदायित्व है, विभाग का मुख्य कार्य कर योग्य उदघोषित मूल्य तथा सेनवेट के क्रेडिट की प्राप्ति एवं दावा किये गए शुल्क की प्रभावशाली दर के अनुसार निर्धारिती किये गए कर शुल्क की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित द्वारा प्रस्तुत किये गए कर विवरणी की संवीक्षा करना है। अक्टूबर 2011 से एसीईएस के माध्यम से रिटर्नों की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई थी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी की संवीक्षा हेतु नियमपुस्तक, 2008 के अनुसार प्राप्त किये गए एवं संवीक्षा की गई विवरणियों की संख्या के संबंध में रेंज अधिकारी द्वारा एक मासिक रिपोर्ट डिविजन के क्षेत्राधिकारी सहायक/उप आयुक्त को प्रस्तुत की जानी है। संवीक्षा दो स्तरों पर की जाती हैं अर्थात् एसीईएस द्वारा प्राथमिक संवीक्षा तथा विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस द्वारा अथवा अन्यथा चिन्हित किये गए रिटर्नों की मानवीय रूप से की जाती है।

4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा जाँच का उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या विभाग एक दक्ष तथा प्रभावशाली ढंग से निर्धारणों की संवीक्षा कर रहा है।

4.3 लेखापरीक्षा कवरेज

विभाग द्वारा की गई विवरणियों की संवीक्षा की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा ने जाँच हेतु 30 विभिन्न आयुक्तालयों के अन्तर्गत 127 रेंज चयनित किये। लेखापरीक्षा ने वि. व. 13 में की गई विवरणियों की संवीक्षा की नमूना जाँच की। अर्न्तभूत मुद्दों के आधार पर जहाँ अपेक्षित था, हमने वि. व. 11 तथा वि. व. 12 की अवधि के डॉटा को भी शामिल किया।

4.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षित ईकाईयों ने निर्धारित अभिलेखों की लेखापरीक्षा से ₹ 11.18 करोड़ के राजस्व वाले कुछ अनुपालन संबंधी तथा अन्य मुद्दों का पता चला। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 4.15 करोड़ के राजस्व वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) तथा ₹ 3.81 करोड़ की वसूली की। मुख्य निष्कर्षों को दर्शाया गया है:

क. प्रारंभिक संवीक्षा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को संबंधित माह से अगले माह/तिमाही की 10वीं तिथि तक मासिक/तिमाही विवरणी, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करनी है। निर्धारितियों द्वारा विवरणियों की फाईलिंग तथा विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा रेंज अधिकारी द्वारा एसीईएस के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा हेतु नियमपुस्तक, 2008 के पैरा 2.1 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार सभी विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा विवरणियों की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर की जानी है।

हमने चयनित रेन्जों में जाँच के दौरान देखी गई प्रारम्भिक संवीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नीचे चर्चा की है।

4.4.1 विवरणियों की प्रस्तुति

हमने देखा कि 2012-13 के दौरान प्राप्त योग्य 82,204 रिटर्नों में से केवल 73,487 (89 प्रतिशत) विवरणियां चयनित आयुक्तालयों में प्राप्त हुई थीं। प्राप्त हुई कुल विवरणियों में से, 1,835 (दो प्रतिशत) विवरणियां विलम्बित रूप से प्राप्त हुई थीं तथा 8,717 (11 प्रतिशत) विवरणियां प्राप्त नहीं हुई थीं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा हेतु नियमपुस्तिका, 2008 के पैरा 1.1.1 में गैर-दर्जकर्ता/बन्द-दर्जकर्ताकी पहचान को भी प्राथमिक संवीक्षा के एक उद्देश्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तथापि, विभाग ने गैर-दर्जकर्ता/बन्द-दर्जकर्ता को चिन्हित नहीं किया था। हमने यह भी देखा कि विवरणियों की

विलम्बित फाइलिंग के मामलों में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2013), मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि बन्द दर्जकर्ता/गैर-दर्जकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

4.4.2 समीक्षा एवं सुधार

एसीईएस के अन्तर्गत, विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा प्रणाली द्वारा की जाती है तथा विसंगतियों वाली विवरणियों को प्रणाली द्वारा समीक्षा एवं सुधार हेतु चिन्हित किया जाता है। समीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियां निर्धारित के साथ परामर्श अनुसार प्रमाणीकृत की जानी है तथा प्रणाली में पुनः दर्ज की जानी है।

हमने देखा कि एसीईएस द्वारा समीक्षा एवं सुधार हेतु चिन्हित 32,706 विवरणियों में से, विभाग निर्धारित तीन महीनों में केवल 20,622 (63 प्रतिशत) विवरणियों को ही ठीक कर सका। कुछ मामले दर्शाये गए हैं:

i) चेन्नै-III, पुडुचेरी तथा सलेम आयुक्तालयों में, विभाग ने समीक्षा तथा सुधार हेतु चिन्हित 198 मामले तीन माह से काफी बाद 5 से 325 दिनों तक के विलम्ब के साथ पूरे किये। उपरोक्त 198 मामलों में से, 103 मामलों में (52 प्रतिशत) समीक्षा एवं सुधार 100 दिनों से अधिक तक लम्बित थे।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने सूचित किया कि विलम्ब एसीईएस में तकनीकी खराबी के कारण था।

ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी, 2008 की जांच के लिये मैनुअल के पैरा 2.1 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार सभी विवरणियों की प्रारंभिक जांच विवरणी प्राप्त होने की तिथि से तीन महीनों के अंदर की जानी चाहिये। पुडुचेरी आयुक्तालय के पुडुचेरी II डिविजन के अंतर्गत रेंज II बी में, समीक्षा और संशोधन के लिये लंबित विवरणियों की जांच से पता चला कि यदि विवरणियों की जाँच समय से होती तो विभाग संभवतः ₹ 70.25 लाख के अतिरिक्त राजस्व की मांग कर सकता था।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने ₹ 1.90 करोड़ की वसूली सूचित की (दिसम्बर 2014) और ₹ 3.70 करोड़ के लिए एससीएन जारी

किये। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि एक बार प्रारंभिक जांच पूर्ण होने पर समीक्षा और संशोधन की राजस्व की रक्षा के लिये कोई उपयोगिता नहीं है।

समीक्षा और संशोधन की राजस्व की रक्षा के लिये उपयोगिता न होने से संबंधित मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसीईएस में समीक्षा और संशोधन आगामी रिटर्नो की जाँच के लिये शर्तों में से एक है।

iii) त्रिवेन्द्रम आयुक्तालय के त्रिवेन्द्रम डिविजन के अंतर्गत रेंज II में, रेंज अधिकारी ने यह नहीं पहचाना कि मैसर्स एईआरओ रबर कॉरपोरेशन (ईसीसी संख्या एसीजेडपीआर6487एमएक्सएम002) ने निर्धारित से संबंधित न होने वाली गलत ईसीसी संख्या एसीजेडपीआर6487एमएक्सएम001 के प्रति ₹ 3.11 लाख का भुगतान किया।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने सूचित (दिसम्बर 2014) किया कि निर्धारित ने सही ईसीसी संख्या में राशि का दोबारा से भुगतान कर दिया था।

iv) त्रिवेन्द्रम आयुक्तालय में त्रिवेन्द्रम डिविजन के अंतर्गत रेंज II में मैसर्स अम्मिनी एनर्जी सिस्टम ने लेखों के गलत शीर्ष के अंतर्गत शुल्क प्रेषित किया था और विभाग ने एसीईएस द्वारा बताये गये असंतुलन को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारित ने देय ब्याज सहित संबंधित शीर्ष में अंतर देकर भुगतान नियमित किया।

4.4.3 जाँच का संचालन

हमने देखा कि चयनित रेंज में प्राप्त 73,487 विवरणियों में से, 57,348 (78 प्रतिशत) विवरणियों की तीन महीनों के अंदर जांच की गई, 8,345 (11 प्रतिशत) विवरणियों की जाँच विलम्ब से की गई और 7,794 (11 प्रतिशत) विवरणियों की जाँच अभी की जानी बाकि है।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि रेंज कार्यालय लंबन कम करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहे

हैं और अधिकांश आयुक्तालयों में लंबन समाप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि विवरणियों की एसीइएस में तकनीकी खराबी के कारण जाँच नहीं हो सकी।

4.4.4 ब्याज का भुगतान न करना

जब किसी भी उत्पाद शुल्क की वसूली या भुगतान न किया गया हो या कम वसूली या कम भुगतान या गलत वापसी हो तो, कर देने वाला व्यक्ति जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के अंतर्गत निर्धारित है, कर के साथ ऐसी दर जो 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम न हो और छत्तीस प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर सकती है, पर ब्याज के भुगतान के लिये उत्तरदायी है।

हमने चयनित आयुक्तालयों के अंतर्गत ईकाईयों में कई उदाहरण देखे जहाँ विलम्ब से फाईल की गई विवरणियों के संबंध में कार्यवाही की जानी थी। 22 ऐसे मामलों में देय ब्याज ₹ 1.12 करोड़ निकला।

जब हमने यह बताया (सितम्बर 2013), आयुक्तालयों ने 13 मामलों में ₹ 4.77 लाख की वसूली की सूचना दी और कहा कि कुछ रेजों ने ब्याज वसूलने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी है। एक मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है।

भुवनेश्वर ॥ आयुक्तालय में मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर ने 2010-11 में अपनी सहयोगी ईकाईयों को कम मूल्य पर माल बेचा और अनुपूरक बीजक जारी करके 2011-12 में ₹ 408.46 लाख के विभेदक शुल्क का भुगतान किया। यद्यपि, विभेदक शुल्क पर ₹ 106.36 लाख की राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया।

हमने यह अगस्त 2014 में बताया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2014) था।

4.4.5 अस्थायी पंजीकरण को स्थायी पंजीकरण में न बदलना

सीबीईसी ने दिनांक 01.07.2013 के अपने पत्र संख्या एफ.सं.201/06/2013-सीएक्स.6 (पीटी) के माध्यम से अस्थायी पंजीकरण के विलम्ब की आवधिक समीक्षा का प्रस्ताव रखा और अस्थायी पंजीकरण के शून्य शेष के लिये उनको

स्थाई पंजीकरण में बदलने के लिये समय सीमा (01 सितम्बर 2013) निर्धारित की।

लेखापरीक्षा ने सलेम आयुक्तालय के अंतर्गत सलेम । डिविजन में देखा कि स्थाई पंजीकरण वाले 605 निर्धारितियों में से केवल एक स्थाई पंजीकरण (सितम्बर 2013) में बदला गया था।

जब हमने यह बताया (सितम्बर 2013), मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि अधिकतर टेक्सटाईल निर्माता जो विभाग के साथ पंजीकृत हुये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट के बाद पंजीकरण को रद्द कराने के लिये आवेदन करने में विफल रहे। इस संबंध में किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप एक पंजीकरण प्रमाणपत्र स्थाई के रूप में बदला गया और 97 निर्धारितियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस कर दिया। बचे हुये 507 मामलों में मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

ख. निर्धारण की विस्तृत समीक्षा:

विस्तृत समीक्षा का उद्देश्य बोर्ड के दिशानिर्देशों में पहचानी गई जोखिम सीमाओं के लिये प्रदर्शित असामान्य पद्धतियों के लिये सही कारण सुनिश्चित करना है। कर विवरणी में प्रस्तुत जानकारी की वैधता स्थापित करने के अलावा, विस्तृत समीक्षा का मुख्य उद्देश्य उत्पादों जो मूल्यांकन, सेनवेट के उपयोग की यर्थाथता आदि से बच गये, के संबंध में देय शुल्क, मूल्यांकन की सत्यता स्थापित करना है।

बोर्ड के दिशानिर्देश में विस्तृत जांच के लिये ईआर1 और ईआर3 के छोटे भाग (सामान्य रूप से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं) के चयन की योजना है।

दोनों, प्रारंभिक और विस्तृत जाँच विवरणी की प्राप्ति की तिथि से तीन महीनों के अंदर पूर्ण की जानी चाहिये। प्रत्येक छह महीने में, उप/सहायक आयुक्त पीएलए से 1 से पांच करोड़ के बीच शुल्क अदा करने वाली ईकाईयों की विवरणियों की समीक्षा करेंगे और अपर/संयुक्त आयुक्त पीएलए से उचित दस्तावेजों के संदर्भ में पांच करोड़ से अधिक शुल्क का भुगतान करने वाली ईकाईयों की विवरणियों की जांच करेंगे।

4.4.6 विस्तृत समीक्षा न करना

हमने देखा कि चयनित आयुक्तालयों में उप/सहायक और अपर/संयुक्त आयुक्त ने कोई विस्तृत समीक्षा नहीं की यद्यपि निर्धारितियों जिन्होंने 2012-13 के दौरान ₹ 1 करोड़ या अधिक के शुल्क का भुगतान किया, की विवरणियां उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि-

क) एसीइएस ने विस्तृत जांच के लिये विवरणियों की कोई सूची तैयार नहीं की।

ख) 2012-13 में प्राप्त 73,487 विवरणियों में से चयनित आयुक्तालयों द्वारा केवल 320 विवरणियों की समीक्षा की गई जो कि कुल प्राप्त विवरणियों का केवल 0.44 प्रतिशत है।

हमने अगस्त 2014 में इसे बताया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

4.5 निर्धारितियों द्वारा अननुपालन

हमने कुछ विवरणियों की, जहाँ विभाग ने विस्तृत समीक्षा की थी और वहाँ भी जहाँ विभाग ने विस्तृत समीक्षा नहीं की थी, समीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता जानने के लिये और राजस्व हानि को कम करने के लिये, समीक्षा की।

हमने देखा कि कई मामलों में, निर्धारितियों द्वारा स्व निर्धारण में राजस्व निहितार्थ वाली गलतियां थीं। निर्धारिती द्वारा गैर अनुपालन का सीईआरए द्वारा उसके बताये जाने तक पता नहीं लग पाया था। इन गलतियों में से कुछ जो विभाग के अनुपालन सत्यापन तंत्र से बच गईं, लेकिन निर्धारिती रिटर्न और अन्य अभिलेखों की हमारी जाँच के दौरान देखी गईं, का उदाहरण दिया गया है:

4.5.1 बेचे गये माल का गलत मूल्यांकन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन नियम, 2000 (उत्पादशुल्क योग्य माल के मूल्य का निर्धारण) के नियम 9 के प्रावधान के साथ पठित नियम 8 में प्रावधान है कि जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा बेचा न गया हो लेकिन अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिये संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारिती या

निर्धारिती की ओर से उपयोग किया गया हो, ऐसे माल का उत्पाद शुल्क योग्य मूल्य ऐसे माल के उत्पादन या निर्माण की लागत का 110 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने स्पष्ट किया कि सीमित रूप से उपयोग किये गये माल का मूल्य केवल लागत लेखांकन मानक (सीएस-4) विधि के अनुसार निर्धारित होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11एबी में शुल्क के लंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान अपेक्षित है।

बैंगलुरु-III आयुक्तालय में मैसर्स एस के स्टील टेक यूनिट II ने स्टॉक अंतरण पर स्व उपयोग के लिये अपनी स्वयं की फैक्ट्री को तैयार माल की निकासी की। इसलिये निर्धारित सीएस-4 के अनुसार निर्धारित, उत्पादन की लागत के 110 प्रतिशत पर शुल्क के भुगतान का उत्तरदायी था, जो कि इस मामले में नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.02 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2013), आयुक्तालय ने ₹ 35.02 लाख की वसूली की सूचना दी।

4.5.2 छूट का गलत लाभ प्राप्त करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4ए के अनुसार, केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य माल को मूल्य के संदर्भ में उत्पाद शुल्क के लिये प्रभार्य निर्दिष्ट कर सकती है। तब पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसा मूल्य ऐसे माल पर घोषित खुदरे बिक्री मूल्य से कटौती की राशि, यदि कोई है, को घटाकर माना जायेगा।

दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना के अनुसार, सभी फुटवियर के लिये खुदरे बिक्री मूल्य में 35 प्रतिशत की कटौती दी गई थी।

बैंगलुरु-III आयुक्तालय में मैसर्स ब्लाक, द शू स्टोर ने विभिन्न प्रकार के लेदर फुटवियर का उत्पादन किया जिनका मूल्य एमआरपी पर था और मूल्य में 40 प्रतिशत की छूट का लाभ लिया। वि.व. 2012-13 के लिये सभी फुटवियर के लिये उपलब्ध छूट 35 प्रतिशत थी। इसलिये, 5 प्रतिशत की अधिक छूट के

परिणामस्वरूप माल का मूल्यांकन ₹ 75.82 लाख कम हुआ और परिणामस्वरूप सेस सहित ₹ 9.37 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2013), मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती ने ₹ 9.37 लाख की राशि और 2.03 लाख ब्याज का भुगतान किया था।

4.5.3 छूट का गलत लाभ प्राप्त करना

1 मार्च 2003 की अधिसूचना वर्तमान वर्ष के दौरान ₹ 1.5 करोड़ के कुल मूल्य तक घरेलू उपयोग के लिये माल की बिक्री पर, निर्माताओं को लघु उद्योग (एसएसआई) छूट प्रदान करती है, इस शर्त पर कि घरेलू उपयोग के लिये सभी उत्पादशुल्क योग्य माल का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वि.व. में चार करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिये बशर्ते सेनवेट क्रेडिट का लाभ न लिया गया हो।

i) शिलांग आयुक्तालय में मैसर्स अरिहंत इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2012-13 के दौरान ₹ 1.50 करोड़ तक के बिक्री मूल्य पर उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ उठाया। यद्यपि, उसने उपरोक्त उल्लिखित शर्त के उल्लंघन में इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट का भी लाभ उठाया। इसके परिणामस्वरूप छूट का अनियमित लाभ और ₹ 18.54 लाख के शुल्क का गैर-भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2013), मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि ब्याज सहित शुल्क की वसूली के लिये कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।

ii) पुणे III आयुक्तालय में मैसर्स सुपर मीटर मेनुफेक्चरिंग कंपनी की 2010-11 के दौरान कुल बिक्री ₹ 7.40 करोड़ थी। इसलिये, निर्धारिती वर्ष 2011-12 के लिये एसएसआई छूट के लिये पात्र नहीं था। तथापि, निर्धारिती ने एसएसआई छूट का लाभ लिया और वर्ष 2011-12 के दौरान शुल्क के भुगतान के बिना ₹ 1.50 करोड़ का माल बेचा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.45 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2013), मंत्रालय (दिसम्बर 2014) ने सूचित किया कि निर्धारिती को एससीएन प्रक्रियाधीन था।

4.5.4 शुल्क का गैर-भुगतान/कम भुगतान

हमने 18 मामलों में ₹ 34.20 लाख के शुल्क का गैर-भुगतान/कम भुगतान देखा। विभाग ने 12 मामलों में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और ₹ 25.89 लाख वसूल किये। एक मामला उल्लिखित है:

रोहतक आयुक्तालय में मैसर्स इंडोफर्नेस प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2013 के दौरान बेचे गये माल के लिये ₹ 12.49 लाख की राशि के शुल्क का भुगतान नहीं किया।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2013), मंत्रालय ने निष्कर्षों को स्वीकार करते हुये सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारित ने ₹ 1.19 लाख के ब्याज सहित ₹ 12.45 लाख का भुगतान किया।

4.5.5 अन्य मामले

ऊपर चर्चा किये गये मामले के अलावा, हमने ₹ 7.01 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ/ उपयोग, शुल्क के कम भुगतान से जुड़े 98 अन्य मामले भी देखे। मंत्रालय/विभाग ने 55 मामलों में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और ₹ 1.14 करोड़ की वसूली के बारे में सूचित किया।

यद्यपि सीबीईसी की अपेक्षा यह थी कि रिटर्नों की ऑनलाईन स्वचालित जांच शुरू होने से क्षमता बढ़ेगी और विस्तृत जांच के लिये मानव शक्ति मुक्त होगी जो रेंजों का मूलभूत कार्य बन जायेगा, क्षेत्र में वास्तविक स्थिति काफी कुछ वांछनीय हैं। निर्धारण की जांच का रेंजों के मूलभूत कार्य के रूप में अपने स्थान का दावा करने से पूर्व बहुत कुछ करना आवश्यक है।

अध्याय V

नियमों और विनियमों का अननुपालन

5.1 प्रस्तावना

हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से संबंधित निर्धारितियों द्वारा बनाये गये अभिलेखों की जांच की और सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने और शुल्क भुगतान की सत्यता की जांच की। हमने ₹ 66.74 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले सेनवेट क्रेडिट के गलत लाभ/उपयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के गैर/कम भुगतान के मामले और अन्य मामले देखे। हमने 56 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को इन मामलों के बारे में बताया। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 65.75 करोड़, जिसमें से ₹ 15.70 करोड़ वसूल कर लिये गये थे के वित्तीय निहितार्थ वाले 52 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014)। उपरोक्त 52 मामलों में से, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 61.66 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 45 मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही शुरू/पूर्ण की। हमने परिशिष्ट II में इन 45 पैराग्राफों का विवरण प्रस्तुत किया। आपत्तियां तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत शामिल हैं:

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का गैर भुगतान/कम भुगतान

सेनवेट क्रेडिट

अन्य मामले

5.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना/कम भुगतान

5.2.1 उत्पाद शुल्क की कम उगाही

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का निर्धारण) नियमवाली, 2000 के नियम 10ए (i) के अनुसार जब, उत्पाद शुल्क योग्य माल ठेकेदार द्वारा उत्पादित या निर्मित किया जाता है, तब यदि माल मुख्य निर्माता द्वारा वितरण के लिए ठेकेदार की फेक्ट्री से माल की निकासी के समय सुपुर्दगी हेतु बेचा जाये, जहां माल के मुख्य निर्माता और खरीददार संबंधित न हो और बिक्री के लिये मूल्य ही एकमात्र विचार हो, तो

उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्य, मुख्य निर्माता द्वारा बेचे गये उक्त माल का लेनदेन मूल्य होगा।

बोलपुर आयुक्तालय में, मैसर्स दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड, ने 2011-12 के दौरान मुख्य निर्माता (पूर्वोक्त नियम द्वारा अपेक्षित) द्वारा बेचे गये माल के लेनदेन मूल्य के बजाय उत्पादन की लागत के आधार पर निकाले गये निर्धारणीय मूल्य पर उत्पाद शुल्क के भुगतान पर ठेकेदार के रूप में कोक की निकासी की। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 के लिये ₹ 2.78 करोड़ का कम मूल्यांकन हुआ और फलस्वरूप ₹ 14.33 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई जो देय ब्याज सहित वसूली योग्य है।

हमने मार्च 2013 में इसे बताया ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (अक्टूबर 2014) स्वीकार की और सूचित किया कि कारण बताओ नोटिस तैयारी किया जा रहा था।

5.2.2 कम मूल्यांकन के कारण शुल्क की कम उगाही

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(3)(डी) के अनुसार 'लेन-देन मूल्य' का अर्थ है माल, जब बेचा जाये, के लिये वास्तव में भुगतान किया गया या भुगतान योग्य मूल्य, और इसमें बिक्री के संबंध या कारण से चाहे बिक्री के समय या किसी भी अन्य समय देय, कोई भी राशि जो खरीददार निर्धारिती को या की ओर से देने का जिम्मेदार है, शामिल है।

रिचर्डसन और कृडास (1972) लिमिटेड बनाम कलेक्टर सीई नागपुर के मामले में न्यायाधिकरण दिल्ली⁴ और सुकल्प एजेंसीज बनाम सीसीई, लखनऊ के मामले में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद⁵ ने विभाग के दृष्टिकोण को कायम रखते हुये, निर्णय दिया कि जांच प्रभार निर्धारणीय मूल्य में शामिल करने योग्य थे।

हल्दिया आयुक्तालय में मैसर्स नम्पा इलैक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (नम्पा स्टील डिविजन) ने 2010-11 के दौरान विभिन्न ग्राहकों को जी.आई. स्ट्रक्चर, एमएस स्ट्रक्चर आदि और उसके घटक बेचे थे। निर्धारिती ने जीआई/एमएस स्ट्रक्चर आदि की बिक्री से जुड़े खरीददारों से एकत्रित/वसूली योग्य ₹ 2.48

⁴ 1999(110) ई.एल.टी.874 (न्यायाधिकरण-दिल्ली)

⁵ 2013(298) ई.एल.टी.38 (इलाहाबाद)

करोड़ के 'प्रोटो परीक्षण प्रभार' परिलक्षित किया। ऐसे प्रभारों को शुल्क लगाने के लिये उक्त माल के निर्धारणीय मूल्य से जोड़ना चाहिये था। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.48 करोड़ के उक्त माल का कम मूल्यांकन हुआ और फलस्वरूप ₹ 25.58 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई जो ब्याज सहित वसूली योग्य है।

हमने जनवरी 2013 में इसे बताया।

विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

5.2.3 अतिरिक्त निर्धारण पर शुल्क की गैर उगाही

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(1)(ए) के अनुसार, जब उत्पाद शुल्क किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर उसके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य हो, तब ऐसा मूल्य लेन-देन मूल्य होगा। लेन-देन मूल्य का अर्थ है माल, जब बेचा जाये, के लिये वास्तव में दी गई राशि या देय राशि, और मूल्य के रूप में लगाई गई राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि जो खरीदार बिक्री के संदर्भ में, निर्धारिती को या की ओर से देने का जिम्मेदार हो, शामिल है लेकिन ऐसे माल पर वास्तव में भुगतान किया गया या वास्तव में देय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों यदि कोई है, की राशि शामिल नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार ने बिक्री कर के लंबित भुगतान के लिये पैकेज प्रोत्साहन योजना शुरू की जिससे निर्धारिती को खरीददार से बिक्री कर एकत्रित करने और अपने पास रखने और उसे निर्धारित अवधि के बाद वापस लौटाने की अनुमति थी। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित किया और बिक्री कर देयता के समयपूर्व पुनर्भुगतान के लिये और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करते हुये नवम्बर 2002 में अधिसूचना जारी की। क्योंकि बिक्री कर वास्तव में देय नहीं था, वो लेन-देन मूल्य में शामिल करने योग्य था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त जयपुर ॥ बनाम मैसर्स सुपर सिनोटेक्स (इंडिया) के इसी तरह के मामले में विभाग के विचार की परिपुष्टि करते हुये, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बिक्री कर का अतिरिक्त प्रोत्साहन लेन-देन मूल्य⁶ के रूप में माना जायेगा। हमारे समक्ष तीन

⁶ 2014-टीआईओएल-19-एससी-सीएक्स

उदाहरण आये जहां निर्धारिति द्वारा लेन-देन मूल्य में अतिरिक्त निर्धारण शामिल नहीं किया गया था।

i) कोल्हापुर आयुक्तालय में मोटर वाहन का सामान और पुर्जों के निर्माण से जुड़े मैसर्स फेयरफील्ड एटलस लिमिटेड ने पूर्वोक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान बिक्री कर लंबित देयता के समय पूर्व पुनर्भुगतान का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती को शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर उपार्जित बिक्री कर देयता के समयपूर्व पुनर्भुगतान के कारण ₹ 3.42 करोड़ की छूट प्राप्त हुई। उपभोक्ता से वास्तव में एकत्रित बिक्री कर और एनपीवी में किये गये भुगतान के बीच अंतर लेखों में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया था। एकत्रित की गई लेकिन सरकार को भुगतान न की गई बिक्री कर राशि निर्धारणीय मूल्य में अतिरिक्त आय के रूप में जोड़ी जानी थी। अतिरिक्त आय को न जोड़ने के परिणामस्वरूप ₹ 3.42 करोड़ तक के माल का कम मूल्यांकन के साथ ₹ 28.18 लाख के उत्पाद शुल्क की अनुवर्ती कम उगाही हुई जो ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2013), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) और कहा कि निर्धारिति को ₹ 55.71 लाख के लिये एससीएन जारी कर दिया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि मैसर्स सुपर सिंकोटेक्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करने के लिये, दिनांक 17 सितम्बर 2014 के पत्र के माध्यम से, क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश जारी कर दिये गये थे।

ii) नागपुर अयुक्तालय में, मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने पूर्वोक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान बिक्री कर लंबित देयता के समय पूर्व पुनर्भुगतान का विकल्प चुना। निर्धारिति के वित्तीय अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिति को शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर उपार्जित बिक्री कर देयता के समयपूर्व भुगतान के कारण वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 3.56 करोड़ और ₹ 10.26 करोड़ की छूट प्राप्त हुई। उपभोक्ता से वास्तव में एकत्रित बिक्री कर और एनपीवी में किये गये भुगतान का अंतर खाते में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया था। एकत्रित की गई लेकिन सरकार को भुगतान न की

गई बिक्री कर की राशि, निर्धारणीय मूल्य में अतिरिक्त आय के रूप में जोड़ी जानी थी। अतिरिक्त आय को न जोड़ने के परिणामस्वरूप ₹ 13.82 करोड़ तक के माल का कम मूल्यांकन के साथ ₹ 1.71 करोड़ के उत्पाद शुल्क की अनुवर्ती कम उगाही हुई।

हमने जनवरी 2014 में इसे बताया।

विभाग/मंत्रालय का उत्तर (दिसम्बर 2014) प्रतीक्षित था।

iii) कोल्हापुर आयुक्तालय में मैसर्स टाटा मेटालिक्स लिमिटेड ने पूर्वोक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान बिक्री कर लंबित देयता के समय पूर्व पुनर्भुगतान का विकल्प चुना। निर्धारिती को शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी), में उपार्जित बिक्री कर देयता के समयपूर्व भुगतान के कारण वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 3.48 करोड़ की छूट प्राप्त हुई। उपभोक्ता से वास्तव में एकत्रित बिक्री कर और एनपीवी में किये गये भुगतान का अंतर लेखों में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया था। एकत्रित की गई लेकिन सरकार को भुगतान न की गई बिक्री कर राशि निर्धारणीय मूल्य में अतिरिक्त आय के रूप में जोड़ी जानी थी। अतिरिक्त आय को न जोड़ने के परिणामस्वरूप ₹ 3.48 करोड़ तक के माल का कम मूल्यांकन के साथ ₹ 35.81 लाख के उत्पाद शुल्क की अनुवर्ती कम उगाही हुई।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2013), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया और सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती को ब्याज सहित ₹ 35.81 लाख के शुल्क की मांग करते हुये एससीएन जारी कर दिया गया था।

5.3 सेनवेट क्रेडिट

5.3.1 सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) में प्रावधान है कि जहां शुल्क योग्य और छूट प्राप्त तैयार उत्पाद के निर्माण से जुड़े निर्धारिती, छूट प्राप्त उत्पादों में प्रयोग की गई इनपुट/इनपुट सेवाओं के लिये अलग खाता बनाये बिना दोनों, शुल्कयोग्य और छूट प्राप्त तैयार उत्पादों में प्रयोग की जाने वाली इनपुट/इनपुट सेवाओं पर भुगतान किये गये शुल्क का क्रेडिट लेता है, तो फैक्ट्री से निकासी के समय 6 जुलाई 2009 तक छूट प्राप्त माल के कुल

मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर राशि और उसके बाद पांच प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

बोलपुर आयुक्तालय में मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड – आईआईएससीओ स्टील प्लांट ने उत्पाद शुल्क के भुगतान पर लौह और इस्पात उत्पादों की निकासी की। हमने देखा कि लौह और इस्पात के निर्माण के दौरान 'तरल लावा' भी उत्पादित होता है। तरल लावा शुल्क से छूट प्राप्त है। निर्धारित ने 2008-09 और 2009-10 के दौरान बेचे गये लावे के कुल मूल्य के अनुपातिक क्रेडिट की वापसी या दस/पांच प्रतिशत का भुगतान, जैसा लागू हो, के बिना तरल लावे की निकासी की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.36 लाख का गैर – भुगतान हुआ जो लागू दर से ब्याज सहित वसूली योग्य है।

जब हमने इसे बताया (दिसम्बर 2010), आयुक्तालय ने अभ्युक्ति (अक्टूबर 2012) को स्वीकार किया और सूचित (अप्रैल 2013) किया कि निर्धारित ने ₹ 1.95 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.52 लाख की राशि वापस की। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर 2008 से जनवरी 2010 की अवधि को कवर करते हुये ब्याज और लागू जुर्माने सहित ₹ 22.21 लाख के लिये कारण बताओं नोटिस जारी (नवम्बर 2013) किया गया था। ₹ 3.70 लाख की शेष राशि की मांग की जानी बाकी है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

5.3.2 इनपुट सेवाओं के लिये सेनवेट क्रेडिट की वापसी के लिये प्रावधान का अभाव

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5) के अनुसार, जब इनपुट या पूंजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया हो, की फैक्ट्री से उसी रूप में निकासी की जाये, तो तैयार उत्पाद के निर्माता को ऐसे इनपुट या पूंजीगत माल के संबंध में उपयोग किये गये क्रेडिट के बराबर की राशि का भुगतान करना होगा और इस तरह से निकासी को नियम 9 में संदर्भित बीजक के कवर के अंतर्गत करना होगा। तथापि, इनपुट/पूंजीगत माल की वैसे ही

निकासी के समय इनपुट सेवाओं के अनुपातिक सेनवेट क्रेडिट की वापसी के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

रायपुर आयुक्तालय में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दर सूची अधिनियम, 1955 के अध्याय 25, 26, 27, 28, 68, 72, 73, 74 और 84 की सामग्री के निर्माण से जुड़े मैसर्स जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 2009-10 और 2010-11 की अवधि के दौरान इनपुट और पूंजीगत माल की वैसे ही निकासी की। इन इनपुट और पूंजीगत माल पर आरोप्य सेनवेट क्रेडिट निर्धारिती द्वारा वापस किया गया लेकिन इन इनपुट और पूंजीगत माल पर आरोप्य जीटीए सेवा पर सेवा कर पर उपयोग किये गये ₹ 13.10 लाख की राशि के सेनवेट क्रेडिट को निर्धारिती द्वारा वापस नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.10 लाख के सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी हुई।

जब हमने इसे बताया (फरवरी 2013), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (दिसम्बर 2014) और कहा कि जीटीए सेवा पर भुगतान किये गये सेवा कर के क्रेडिट की वापसी की अपेक्षा का नियम 3(5) में कोई प्रावधान नहीं है।

सिफारिश संख्या 1

➤ बोर्ड इनपुट या पूंजीगत माल की वैसे ही निकासी के समय इनपुट सेवाओं के लिये आरोप्य अनुपातिक क्रेडिट की वापसी की अपेक्षा करने वाला उचित प्रावधान सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में शामिल करने पर विचार करें।

5.3.3 अप्रयुक्त इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट की गैर वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 के उप-नियम 5(बी) में प्रावधान है कि प्रयोग करने से पहले यदि किसी भी इनपुट या पूंजीगत माल का मूल्य, जिस पर क्रेडिट लिया गया हो, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया है या जहां बट्टे खाते में डालने के लिये कोई भी प्रावधान पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बही खाते में किया गया हो, तो निर्माता या सेवा प्रदाता, जैसा भी मामला हो, उक्त इनपुट या पूंजीगत माल के संबंध में लिये गये सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

जयपुर-1 कमिश्नरी में मै. डीसीएम श्रीराम कनसोलिडेटेड लिमिटेड ने मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए खाता बही में ₹ 1.21 करोड़ मूल्य के पुराने इनपुटों के लिए प्रावधान किया था। चूंकि, पुराने इनपुटों के लिए प्रावधान उनके उपयोग किये जाने से पहले किया गया था तब निर्धारिती से उक्त इनपुटों के संबंध में लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर ₹ 17.48 लाख की राशि का भुगतान करना अपेक्षित है।

जब हमने इसके बारे में बताया (मार्च 2014) तब मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2014) और बताया कि वास्तविक देय शुल्क ₹ 19.77 लाख था और ₹ 19.77 लाख के लिए निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

5.3.4 सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति

विशेष माल के लिए जारी अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2012 के साथ पठित 1 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार एक प्रतिशत की प्रभावी शुल्क दर इस शर्त के साथ निर्धारित की गई थी कि इनपुट या इनपुट सेवाओं पर कोई सेनवेट क्रेडिट प्राप्त नहीं किया गया है और उक्त को छूट प्राप्त माल के समान माना जाना चाहिए।

सलेम कमिश्नरी में मै. शेषाशायी पेपर एण्ड बोर्ड लिमिटेड ने अधिसूचना के अन्तर्गत एक प्रतिशत की दर पर प्रतिकारी शुल्क के भुगतान पर कोयला (टीएसएच 2701 19 20) आयात किया। तथापि, निर्धारिती ने भुगतान किए गए प्रतिकारी शुल्क पर ₹ 89.83 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था जोकि अधिसूचना में निर्धारित शर्त के उल्लंघन में था। अपात्र क्रेडिट को ब्याज सहित लौटाया जाना अपेक्षित था।

जब हमने इसके बारे में बताया (अक्टूबर 2013), तब मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2014) और बताया कि वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया अपात्र सेनवेट क्रेडिट ₹ 89.83 लाख था और ₹ 89.83 लाख के लिए कारण नोटिस जारी किया जा रहा था।

5.3.5 बेसिक सीमा शुल्क पर शिक्षा उपकर के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति

भारत सरकार ने अधिसूचना स. 13/2012 सीमा शुल्क और 14/2012-सीमा शुल्क दिनांक 17 मार्च 2012 के माध्यम से भारत में माल के आयात के समय प्रतिकारी शुल्क के भाग के रूप में संगृहित समस्त शिक्षा उपकर और माध्यमिक उच्च शिक्षा (एसएचई) उपकर से सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अन्दर आने वाले सभी माल को छूट दी थी। इसके अलावा, सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3(1) केवल सीवीडी पर उदगृहित शिक्षा उपकर और एसएचई उपकर के क्रेडिट की अनुमति देता है किन्तु बेसिक सीमा शुल्क (बीसीडी) के भाग के रूप में अनुदगृहित पर नहीं।

मेरठ -I, मेरठ-II, लखनऊ और कानपुर कमिश्नरियों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 18 निर्धारितियों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि इन निर्धारितियों ने 2012-13 के दौरान सीमा शुल्क के अंश के रूप में भुगतान किए गए शिक्षा उपकर और एसएचई उपकर के ₹ 35.83 लाख के सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किए थे जोकि गलत था और इसलिए यह ब्याज सहित वसूली योग्य था।

हमने जनवरी और जून 2014 के बीच इसके बारे में बताया।

विभाग/मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)।

5.4 अन्य मामलें

5.4.1 निर्धारिती द्वारा उत्पाद शुल्क योग्य माल की उसके द्वारा नष्ट या प्राकृतिक कारण द्वारा नष्ट माल के लिए विभाग को सूचना देने की अपेक्षा करने वाले प्रावधान का अभाव

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 21 में शुल्क की माफी के लिए प्रावधान है यदि उत्पाद शुल्क योग्य माल को खपत या विपणन के लिए उचित न पाया जाए। तथापि, अधिनियम/नियमावली में निर्धारिती द्वारा माल को नष्ट करने से पूर्व विभाग को सूचना देने या प्राकृतिक कारण से नष्ट माल एवं शुल्क से माफी का दावा करने के लिए निर्धारिती से अपेक्षा करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। सीबीईसी के पूरक अनुदेशों की उत्पाद शुल्क नियम पुस्तक, 2005 के अध्याय

18 में माल की क्षति और शुल्क से माफी का दावा करने के लिए निर्धारिती द्वारा पालन किए जाने वाले अनुदेश और प्रक्रिया निर्दिष्ट है जिसमें यह अपेक्षा है कि निर्धारिती को कारणों सहित नष्ट किए जाने वाले माल के बारे में विभाग को सूचना देनी चाहिए और सारे माल को विभाग के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत नष्ट किया जाएगा। यद्यपि ये अनुदेश केवल विभागीय अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं। हालांकि, विधिक घोषणाएं भी हैं जो यह पुष्टि करती हैं कि माफी के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है, नियमावली में ऐसा कुछ नहीं है जो माल को स्वयं नष्ट करने को रोक सके।

कोल्हापुर कमिश्नरी में सीईटीए, 1985 के अध्याय 38 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के विनिर्माण में लगे हैं। डाऊ एग्रो साइसेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2011-12 से 2012-13 की अवधि के दौरान 32.11 एमटी क्लोरोपाइरीफोस टेक, एक कीट नाशक को नष्ट किया। निर्धारिती ने ना तो माल को नष्ट करने के लिए अनुमति ली और न ही नष्ट करने के लिए माल के हटाव पर शुल्क का भुगतान किया था जोकि ब्याज सहित वसूलीयोग्य था।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2013) तब विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि निर्धारिती ने तैयार माल को बेचा नहीं था बल्कि इसे नष्ट करने के लिए भेज दिया था। इसलिए, लौटाई जाने वाली राशि को तैयार माल में उपयोग किए गए इनपुटों के मूल्य के आधार पर निकाला गया था। निर्धारिती ने जून 2013 में ₹ 9.81 लाख की राशि लौटाई थी और जुलाई 2013 में ₹ 1.67 लाख के ब्याज का भुगतान किया था। विभाग ने आगे सूचना दी (जुलाई 2014) कि निर्धारिती ₹ 1.16 लाख के ब्याज सहित ₹ 5.69 लाख के सेवा कर के क्रेडिट को भी लौटाया था। विभाग ने यह भी सूचना दी कि निर्धारिती ने ना तो शुल्क से माफी के लिए कोई आवेदन दर्ज कराया और ना ही खराब माल को नष्ट करने के लिए विभाग से कोई अनुमति मांगी। निर्धारिती ने स्वयं माल को नष्ट कर दिया था।

चूंकि निर्धारिती ने माल को नष्ट करने के लिए विभाग से अनुमति नहीं ली थी इसलिए उससे विनिर्मित माल पर पूर्ण उत्पाद शुल्क का भुगतान अपेक्षित था। सेनवेट क्रेडिट को केवल तब लौटाया जाता है जब माफी दी गई हो।

चूंकि, निर्धारिती ने विभाग से अनुमति लिए बिना माल को नष्ट कर दिया था और वास्तविक रूप से नष्ट करने का पर्यवेक्षण भी नहीं किया गया था, इसलिए माल के अवैध निराकरण की सम्भावता से बचा नहीं जा सकता। विभाग ने पूर्ण शुल्क की मांग की ब्याज माल को नष्ट करने से संबंधित कार्यकलापों और सेनवेट क्रेडिट को स्वीकार किया। यह बोर्ड के इसके अधिकारियों को दिए गए पूरक अनुदेशों के अनुसार नहीं था।

सिफारिश सं. 2

- सीबीईसी उत्पाद शुल्क योग्य माल को नष्ट करने से पहले निर्धारिती द्वारा पालन हेतु करने के लिए उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक कारण से नष्ट हुए माल के लिए विभाग को सूचना देने और शुल्क की माफी का दावा करने के लिए नियमावली में उचित प्रावधानों को शामिल करने पर विचार करे।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)।

अध्याय VI

आंतरिक नियंत्रणों की प्रभाविकता

6.1 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण किसी सत्व के प्रबंधन और कार्मिकों द्वारा की जाने वाली एक अभिन्न प्रक्रिया है। यह जोखिम का समाधान करती है और सत्व के लक्ष्य के लिए तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती है कि सत्व निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त कर रहा है:

- व्यवस्थित, नैतिक, मितव्ययी, दक्ष और कुशल परिचालन का निष्पादन;
- जवाबदेही का दायित्व निभाना;
- लागू कानून और विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग और क्षति के प्रति संसाधनों की सुरक्षा।⁷

6.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अभिलेखों की जांच के दौरान हमने नौ मामले देखे जहां विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। हमने ₹ 15.47 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले नौ ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से इन अभ्युक्तियों को मंत्रालय को सूचित किया। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 14.98 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के आठ ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) जिनमें से ₹ 2.10 करोड़ वसूल किए गए हैं। उपरोक्त आठ ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से तीन मामलों में मंत्रालय/विभाग ने ₹ 0.40 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली सुधारात्मक कार्रवाई शुरू/पूरी की थी। हमने परिशिष्ट III में इन तीन पैराग्राफों के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। आपत्ति को दो मुख्य शीर्षों अर्थात् आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य मामलों के अन्तर्गत कवर किया गया है।

6.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, विभाग में मुख्य अनुपालन सत्यापन तंत्रों में से एक है, जो निर्धारित नियम और विनियमों के साथ अनुपालन का स्तर सुनिश्चित करने हेतु, निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन द्वारा जोखिम मापदण्डों

⁷ इनटोसाई जीओवी 9100/सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आंतरिक नियंत्रण मानदण्ड हेतु दिशानिर्देश

के आधार पर, निर्धारिती इकाईयों के चयन सहित, निर्धारिती के दस्तावेजों की संवीक्षा द्वारा निर्धारिती परिसर में लेखापरीक्षा करती है। आंतरिक लेखापरीक्षा को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर नियमों के अंतर्गत निर्धारितियों के पंजीकृत परिसरों में रखे अभिलेख तक पहुँचने की शक्ति प्राप्त है। महानिदेशक लेखापरीक्षा को अहमदाबाद, मुम्बई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में अपनी सात इकाईयों सहित आयुक्तालय (जो वास्तव में लेखापरीक्षा प्रक्रिया चलाते हैं) और सभी लेखापरीक्षा मामलों पर बोर्ड के साथ केन्द्रीकृत संपर्क प्रदान करना होता है। एक तरफ यह नीति निर्माण में बोर्ड की सहायता करता है और सलाह देता है और दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर लेखापरीक्षा की योजना, सहयोग, निरीक्षण और आयोजन में मार्गदर्शन करता है और व्यावहारिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। सभी आयुक्तालयों में एक लेखापरीक्षा सैल होता है जो सहायक/उप आयुक्त और लेखापरीक्षकों द्वारा संचालित होता है और अपर/संयुक्त आयुक्त इसकी अध्यक्षता करते हैं तथा यह सैल लेखापरीक्षा योजना को तैयार करता है, समन्वय स्थापित करता है और उस पर निगरानी रखता है। आंतरिक लेखापरीक्षा दलों जिसमें अधीक्षक और निरीक्षक शामिल हैं, द्वारा यह लेखापरीक्षा की जाती है।

हमने आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा पहले से लेखापरीक्षित कुछ निर्धारित अभिलेखों को सत्यापन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा की गई वास्तविक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता पर आश्वासन प्राप्त करना चाहा। हमें निर्धारिती की चूकों का आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा पता न चलने के कुछ मामलों का पता चला। कुछ मामलों को निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

6.3.1 सामान्य इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति का पता न चलना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा मैनुअल 2008 के अनुबंध (ई) के अनुसार लेखापरीक्षकों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अल्प मूल्यांकन को खोजने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांच कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या कोई संबंधित पार्टी लेन-देन, गुप कम्पनियों/संबंधित पार्टियों को उत्पाद शुल्क योग्य उत्पादों के हस्तांतरण के रूप में किया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल का कीमत निर्धारण) नियमावली, 2000 के नियम 9 के उपबंध के साथ पठित नियम 8 बताता है कि जहां उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा

बेचा नहीं जाता बल्कि दूसरी वस्तुओं के विनिर्माण में इसके द्वारा या निर्धारिती के संबंधित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है, ऐसे माल का निर्धारण मूल्य माल की उत्पादन या विनिर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया था (13 फरवरी 2003) कि आंतरिक खपत किए गए माल का मूल्य केवल लागत लेखांकन मानदण्ड (सीएस-4) पद्धति के अनुसार ही निर्धारित किया जाना चाहिए।

बेलापुर आयुक्तालय में सीईटीए, 1985 के अध्याय 27 के अन्तर्गत आने वाले माल के विनिर्माण में लगे मै. सविता ऑयल टेक्नोलोजिज लिमिटेड ने सीएस-4 के अन्तर्गत मूल्यनिर्धारण को अपनाकर म्हापे में स्थित अपनी सहायक इकाई को 2011-12 की अवधि दौरान ₹ 31.00 करोड़ मूल्य की निकासियां की थीं। तथापि, निर्धारिती ने 10 प्रतिशत की बजाय लागत के 30 प्रतिशत को जोड़कर मूल्य को बढ़ा दिया था। निर्धारिती ने उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया था। इस प्रकार, माल के मूल्य में ₹ 4.77 करोड़ का अधिक निर्धारण और निर्धारणीय मूल्य को बढ़ाने और इसकी दूसरी यूनिटों को अधिशेष अप्रयुक्त क्रेडिट को हस्तांतरित करने के लिए ₹ 49.12 लाख के शुल्क का अधिक भुगतान था। कथित नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में लागत के अनियमित अंगीकरण के परिणामस्वरूप निर्धारिती और सहायक इकाईयों के बीच ₹ 49.12 लाख के क्रेडिट का अधिक उपयोग और हस्तांतरण हुआ।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (मार्च 2013) आयुक्तालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और सूचना दी (जून 2014) कि मामले को संयुक्त निदेशक (लागत) को सौंप दिया गया था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)।

6.3.2 सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 6(3) के अननुपालन का पता न चलना।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(2) के अनुसार छूटप्राप्त माल या सेवाओं के साथ-साथ शुल्क हेतु प्रभार्य विनिर्मित माल के अंतिम उत्पादों के विनिर्माता इनपुट और इनपुट सेवाओं की प्राप्ति, खपत और सूची के लिए अलग लेखों का अनुरक्षण करेंगे और केवल इनपुट या इनपुट सेवा की उस मात्रा पर सेनवेट क्रेडिट लेंगे जो शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में या आउटपुट सेवा जिस पर सेवाकर देय है, को उपलब्ध कराने में उपयोग के लिए अभीष्ट है। नियम 6(3) में बताया गया कि अलग लेखा का अनुरक्षण न करने वाले विनिर्माता या तो छूट प्राप्त माल और सेवाओं के मूल्य के पांच

प्रतिशत (6 जुलाई 2009 तक 6 प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेंगे या उप नियम 6 (3ए) के अन्तर्गत निर्धारित राशि का भुगतान करेंगे। अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2011 के खण्ड 2(iii) के अन्तर्गत व्याख्या के अनुसार छूट दी गई सेवाओं में ट्रेडिंग शामिल है।

कोचीन आयुक्तालय में मै. एफसीआई ओईएन कनेक्टर्स लिमिटेड विनिर्माण कार्यकलाप के अतिरिक्त माल का व्यापार कर रही थी। यद्यपि निर्धारिती सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से शुल्क देयता की अदायगी कर रहा था और इनपुट और इनपुट सेवाओं का क्रेडिट प्राप्त कर रहा था तथापि इनपुट और इनपुट सेवाओं की प्राप्ति, निर्गम और वस्तु सूची के लिए कोई पृथक लेखे नहीं बनाए थे। अप्रैल 2011 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान अलग लेखा का अनुरक्षण ना करने के कारण नियम 6(3) के अनुसार ₹ 42.77 लाख की राशि या व्यापार कार्यकलापों में शामिल आनुपातिक क्रेडिट के बराबर राशि देय थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2012) तब विभाग ने सूचना दी (मार्च 2014) कि निर्धारिती ने 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसम्बर 2012 की अवधि के लिए नियम 6(3) के अन्तर्गत देय राशि के प्रति ₹ 1.03 करोड़ के क्रेडिट को वापस कर दिया था और 4 जनवरी 2013 को ₹ 21.61 लाख तथा 8 अप्रैल 2013 को ₹ 0.56 लाख के ब्याज का भुगतान किया था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)

हमने देखा कि हालांकि आंतरिक लेखापरीक्षा उपरोक्त सभी मामलों में आयुक्तालय के आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा की गई थी तथापि सीईआरए द्वारा बताए जाने तक चूक का पता नहीं लगाया जा सका था।

6.4 अन्य मामलें

6.4.1 अपवंचन रोधी और निवारक इकाई की अप्रभावी कार्यप्रणाली

कर आधार को बढ़ाकर कर राजस्व को बढ़ाना किसी कर प्रशासन विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में चिन्हित मुख्य निष्पादन क्षेत्रों में से अपवंचन रोधी एक हैं। विभाग की अपवंचन रोधी और निवारक शाखा वैयक्तिक निर्धारितियों के शुल्क भुगतान अभिलेखों का गोपनीय ट्रेक रखकर, गुप्तचरों को तैनात करके, बाजार और अन्य स्रोतों के माध्यम से सूचना संगृहित करके, कारखानों पर औचक दौरा करके, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं, शुल्क के अपवंचन के बारे में आसूचना के संग्रहण और अपवंचन के लिए किसी प्रयास को विफल करने के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु जिम्मेदार है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 6 के अनुसार केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम (सीईटीए) 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में शामिल उत्पादन या विनिर्माण या उत्पादन की किसी प्रक्रिया या किसी विशेष माल के विनिर्माण में शामिल कोई निर्धारित व्यक्ति स्वयं को पंजीकृत कराएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 25(सी) के अनुसार कोई उत्पादक, विनिर्माता, वेयर हाऊस का पंजीकृत व्यक्ति या अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अपेक्षित पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किए बिना किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण, उत्पादन या संग्रहण में लिप्त पंजीकृत डीलर शास्ति के लिए दायी होगा जोकि उत्पाद शुल्क योग्य माल पर शुल्क या दो हजार रुपए, जो भी अधिक है, से अधिक नहीं होगी।

लेखापरीक्षा ने कोजीकोड जिला में वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय में दर्ज बिक्री कर/वेट विवरणियों से सीईटीए के अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाले औषधियों के विनिर्माताओं से संबंधित जानकारी एकत्र की और देखा कि कालीकट आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले दो प्रमुख विनिर्माताओं अर्थात सिद्धसमाजम सिवनंदा विजयम औषधशाला और केरल आयुर्वेदिक कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी ₹ 150 लाख की लघु उद्योग छूट सीमा पार करने के बाद भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में ना तो पंजीकृत थी और ना ही ₹ 90 लाख की लघु उद्योग छूट सीमा पार करने के बाद कोई घोषणा प्रस्तुत की थी जोकि लघु उद्योग इकाई के लिए अनिवार्य है। आयुक्तालय इस तथ्य के बावजूद कि केरल राज्य वैकल्पिक चिकित्सा पर्यटन के लिए प्रख्यात है, अपने निवारक और अन्य विंगों के माध्यम से इन मामलों का पता लगाने में विफल रहा।

हमारे द्वारा इसे बताए जाने पर (मई 2013) मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) और सूचना दी कि ₹ 8.73 लाख के ब्याज और ₹ 6.03 लाख की शास्ति सहित ₹ 29.84 लाख की वसूली मै. सिद्धसमाजम से कर ली गई और मै. केरल आयुर्वेदिक कॉ. ऑपरेटिव सोसायटी को एसीएन जारी करना प्रक्रियाधीन था।

6.4.2 देयताओं की वसूली के लिए विभागीय कार्रवाई का अभाव

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार एक माह के दौरान फैक्ट्री से हटाए गए माल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान आगामी माल की 5/6 तारीख तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा, नियम 8(4) के अनुसार केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को ब्याज सहित शुल्क की वसूली हेतु लागू किया जाएगा। देयताओं की वसूली

हेतु कार्रवाई के लिए अनुदेशों को दिनांक 15 दिसम्बर 1997 और 15 दिसम्बर 2003 के बोर्ड के परिपत्रों से दोहराया गया था। बोर्ड ने अपने पत्र फाइल सं. 224/37/2005-सीएक्स-6, दिनांक 24 दिसम्बर 2008 के माध्यम से रेंज अधिकारी के कर्तव्यों का उल्लेख किया और रेंज अधिकारी द्वारा चूक की राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने को भी आवश्यक बनाया।

भुवनेश्वर-1 आयुक्तालय में मै. श्री मेटालिक्स लिमिटेड और मै. जय जगन्नाथ कास्टिंग्स (पी) लिमिटेड ने चूक की और इन्होंने ₹ 91.58 लाख और ₹ 52.08 लाख की कुल शुल्क देयता में से ₹ 35.16 लाख और ₹ 41.02 लाख के शुल्क का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप 2010-11 और 2011-12 के दौरान ₹ 56.42 लाख और ₹ 11.06 लाख के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान हुआ। तथापि, विभाग ने 'कर बकाया रिपोर्ट' में मै. श्री मेटालिक्स लिमिटेड से संबंधित अप्रदत्त राशि को शामिल करने के अलावा चूक की राशि की वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की थी। चूंकि दोनों यूनिटें अब बंद हो चुकी हैं, देयताओं की वसूली की सम्भावना कम है।

हमारे द्वारा इसे बताए जाने पर (फरवरी 2013) आयुक्तालय ने दोनों मामलों में कारण बताओ नोटिस के जारी होने की जानकारी दी (अक्टूबर 2013)।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)।

6.4.3 उपभोक्ता कल्याण निधि में राशि का हस्तांतरण न करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11बी प्रतिदाय देने हेतु प्रावधान करती है यदि प्रतिदाय दावा से संबंधित शुल्क का भुगतान विनिर्माता द्वारा कर दिया गया और ऐसे शुल्क के मामले को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया गया हो। यदि शुल्क मामले को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया हो तब प्रतिदाय की राशि को उपभोक्ता कल्याण निधि (सीडब्ल्यूएफ) में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

बेलापुर आयुक्तालय में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मै. न्यू रेशमा डाईंग लिमिटेड के काफी समय से लम्बित प्रतिदाय मामले का नवम्बर 2003 में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय किया गया था और जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिदाय को निर्धारिती को उपलब्ध कराया जाए या उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा कराया जाए, अधिनिर्णायक अधिकरण में वापस भेजा गया था। मामले पर निर्णय सहायक आयुक्त द्वारा दिया गया था जिन्होंने प्रतिदाय की राशि की सटीकता के सत्यापन के बाद प्रतिदाय की राशि को सीडब्ल्यूएफ को हस्तांतरण का आदेश दिया था (फरवरी 2005)। तथापि, 4 वर्षों से अधिक समय

के बाद भी अगस्त 2009 तक उपभोक्ता कल्याण निधि में ₹ 59.53 लाख की राशि को क्रेडिट करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2009) तब विभाग ने सूचना दी (जनवरी 2014) कि ₹ 59.53 लाख की राशि को जनवरी 2014 में उपभोक्ता कल्याण निधि में हस्तांतरित कर दिया गया था।

हमने देखा कि अगस्त 2009 में सीईआरए द्वारा बताए जाने के बाद भी उपभोक्ता कल्याण निधि में राशि को हस्तांतरित करने में चार वर्षों से अधिक का विलम्ब था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)

6.4.4 सेनवेट क्रेडिट के गलत उपयोग द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अनियमित का भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 8(3ए) के अनुसार यदि निर्धारिती उप-नियम(1) में निर्धारित नियत तारीख से तीस दिनों से अधिक तक शुल्क के भुगतान में चूक जाता है तब सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 के कथित उप-नियम (1) और उप-नियम (4) में उल्लिखित तथ्य के बावजूद निर्धारिती उस तिथि जब तक निर्धारिती इस पर ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करे, तक सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किए बिना, निकासी के समय पर प्रत्येक खेप के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान करेगा और किसी विफलता के प्रसंग पर यह माना जाएगा कि ऐसे माल की निकासी शुल्क भुगतान के बिना कर दी गई थी और इन नियमों में दिये गए परिणाम और शास्तियों का अनुसरण किया जाएगा।

पटना आयुक्तालय मै. गंगोत्री आयरन एण्ड स्टील कं. लिमिटेड ने जून 2008 माह के लिए ₹ 74.42 लाख की कुल शुल्क देयता में से सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से ₹ 55.17 लाख का भुगतान किया और ₹ 15.09 लाख का 6 अगस्त 2008 (निर्धारित तारीख के 32 दिन बाद) को ब्याज सहित भुगतान किया था। इसके अलावा, 5 दिसम्बर 2008 को ₹ 4.14 लाख का भुगतान किया गया था और शेष ₹ 1,493 का भुगतान ब्याज सहित निर्धारित तारीख से 1,612 दिनों के बाद 3 दिसम्बर 2012 को किया गया था। चूंकि निर्धारिती ने 30 दिनों से अधिक तक शुल्क के भुगतान में विलम्ब किया इसलिए विभाग को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 8(3ए) के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट के उपयोग करने से निर्धारिती को प्रतिबंधित करना चाहिए था। तथापि, विभाग ने सेनवेट क्रेडिट के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं


किया था और निर्धारिती ने अगस्त 2008 से मार्च 2011 के दौरान ₹ 10.65 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया। सेनवेट क्रेडिट से ऐसा भुगतान नियमित और ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2012) तब विभाग ने बताया (अक्टूबर 2013) कि निर्धारिती 30 दिनों से अधिक तक शुल्क के भुगतान में चूक गया था और नियम 8(3ए) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू था। निर्धारिती से शुल्क की बकाया राशि के भुगतान तक सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किए बिना प्रत्येक खेप के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था। विभाग ने यह भी जोड़ा कि चूंकि शुल्क का भुगतान चूक के 1,612 दिनों के बाद ब्याज सहित कर दिया गया था इसलिए चूक अवधि के दौरान सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता को उचित माना गया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है और नियम 8(3ए) में निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में है। निर्धारिती से चूक अवधि के दौरान सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से भुगतान की गई समस्त राशि, जिसे शुल्क का भुगतान नहीं माना जाना चाहिए, पर ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। उत्तर ने स्पष्ट नहीं किया कि इस मामले में सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता को प्रतिबंधित करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।


मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)

नई दिल्ली
दिनांक: 20 मार्च 2015


(संजीव गोयल)
प्रधान निदेशक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 21 मार्च 2015



(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

(संदर्भ: पैराग्राफ 1.3)

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का संगठनात्मक चार्ट



परिशिष्ट II

(संदर्भ: पैराग्राफ 5.1)

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | डीएपी सं. | संक्षिप्त विषय | आपत्ति की गई राशि | स्वीकृत राशि | वसूल की गई राशि | आयुक्तालय |
|----------|-----------|---|-------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1 | 1बी | शुल्क का गैर-भुगतान | 13.41 | 13.41 | 13.41 | कोलकाता - II |
| 2 | 2बी | केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान | 15.77 | 15.77 | 11.59 | रांची |
| 3 | 4बी | सामान्य इनपुट सेवाओं पर गलत सेनवैट क्रेडिट लेना | 472.00 | 472.00 | | बेलापुर |
| 4 | 5बी | गलत सेनवैट क्रेडिट लेना | 528.38 | 528.38 | | बोलपुर |
| 5 | 7बी | उपयोग के बाद हटाई गई पूँजीगत वस्तुओं पर शुल्क का कम भुगतान | 30.87 | 30.87 | 30.87 | जयपुर - I |
| 6 | 8बी | गलत सेनवैट क्रेडिट लेना | 60.56 | 60.56 | 60.56 | बोलपुर |
| 7 | 9बी | पूँजीगत वस्तुओं पर गलत सेनवैट क्रेडिट लेना | 253.17 | 253.17 | | भुवनेश्वर - I |
| 8 | 10बी | संबंधित इकाईयों को प्रसंस्कृत कच्चे माल पर शुल्क का कम भुगतान | 13.70 | 13.70 | 13.70 | अहमदाबाद - III |
| 9 | 11बी | कम निर्धारण के कारण शुल्क की कम उगाही | 72.42 | 72.42 | 72.42 | जमशेदपुर |
| 10 | 12बी | अधिसूचना के गैर-अनुपालन के कारण उत्पाद शुल्क का गैर-भुगतान | 23.56 | 23.56 | 23.56 | दमन |
| 11 | 13बी | गलत सेनवैट क्रेडिट लेना | 29.91 | 29.91 | 29.91 | बेंगलुरु - I |
| 12 | 14बी | शुल्क का कम भुगतान | 751.63 | 751.63 | | बोलपुर |
| 13 | 15बी | अयोग्य पूँजीगत माल और इनपुट सेवाओं पर गलत सेनवैट क्रेडिट लेना | 67.45 | 67.45 | | हैदराबाद - II |
| 14 | 16बी | अदा किए गए बाकी शुल्क पर ब्याज का गैर-भुगतान | 17.49 | 17.49 | 17.49 | हैदराबाद - I |
| 15 | 17बी | दुलाई और बीमा प्रभारों को शामिल न करने के कारण शुल्क की कम उगाही | 84.35 | 84.35 | | हैदराबाद - III |
| 16 | 19बी | वस्त्र और वस्त्र उत्पाद पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट की गैर-वापसी | 53.63 | 53.63 | 53.63 | अहमदाबाद - III |

2015 की प्रतिवेदन सं. 7 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

| क्र. सं. | डीएपी सं. | संक्षिप्त विषय | आपति की गई राशि | स्वीकृत राशि | वसूल की गई राशि | आयुक्तालय |
|----------|-----------|---|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| 17 | 20बी | सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी | 15.00 | 15.00 | 15.00 | पुणे - I |
| 18 | 21बी | पुराने स्टॉक हेतु किए गए प्रावधान पर सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी | 13.24 | 13.24 | 13.24 | कोल्हापुर |
| 19 | 22बी | व्यापार तथा शुल्कयोग्य माल दोनों में उपयुक्त सामान्य इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति | 50.83 | 50.83 | | रायगढ़ |
| 20 | 23बी | अस्वीकार्य इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति | 41.53 | 41.53 | 38.43 | कोल्हापुर |
| 21 | 24बी | उत्पाद शुल्क योग्य माल की लागत के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क का कम भुगतान | 55.35 | 55.35 | 55.35 | कोल्हापुर |
| 22 | 25बी | अंतरीय शुल्क पर ब्याज का भुगतान न होना | 12.47 | 12.47 | 12.47 | दिल्ली -III |
| 23 | 26बी | अस्वीकृत माल पर लिए सेनवेट क्रेडिट जो आगे की प्रक्रिया के अधीनस्थ नहीं था, का वापिस न किया जाना। | 14.04 | 14.04 | 14.04 | चेन्नई -I |
| 24 | 27बी | अपात्र इनपुट सेवा पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति | 45.74 | 45.74 | 45.74 | पटना |
| 25 | 29बी | अपात्र पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति | 86.73 | 86.73 | 9.65 | हैदराबाद-II |
| 26 | 30बी | इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति तथा उपयोग | 9.68 | 9.68 | 9.68 | कालीकट |
| 27 | 31बी | छूट अधिसूचना की अनियमित प्राप्ति के कारण शुल्क का कम भुगतान | 317.57 | 317.57 | | बोलपुर |
| 28 | 1ए | सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी | 143.58 | 143.58 | | बोलपुर |
| 29 | 2ए | सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी | 159.87 | 159.87 | | बोलपुर |
| 30 | 3ए | सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति | 58.53 | 58.53 | | कानपुर |
| 31 | 4ए | अपात्र पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति | 19.68 | 19.68 | | इलाहाबाद |
| 32 | 5ए | शुल्क का कम भुगतान | 234.14 | 234.14 | | भुवनेश्वर-I |

2015 की प्रतिवेदन सं. 7 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

| क्र. सं. | डीएपी सं. | संक्षिप्त विषय | आपति की गई राशि | स्वीकृत राशि | वसूल की गई राशि | आयुक्तालय |
|----------|-----------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 33 | 6ए | सेनवेट क्रेडिट को वापिस ना करना | 191.63 | 191.63 | 44.29 | भुवनेश्वर-। |
| 34 | 7ए | शुल्क का कम भुगतान | 33.81 | 33.81 | | भुवनेश्वर-। |
| 35 | 9ए | सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी | 15.64 | 15.64 | | बोलपुर |
| 36 | 11ए | सेनवेट क्रेडिट को वापिस ना करना | 130.07 | 130.07 | | बोलपुर |
| 37 | 12ए | कम मूल्यांकन के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 126.76 | 126.76 | | बोलपुर |
| 38 | 14ए | शुल्क का कम उद्ग्रहण | 412.42 | 412.42 | | बोलपुर |
| 39 | 15ए | शुल्क का कम भुगतान | 17.69 | 17.69 | 7.40 | बोलपुर |
| 40 | 16ए | सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति | 90.65 | 90.65 | 18.76 | बोलपुर |
| 41 | 17ए | शुल्क का कम भुगतान | 34.44 | 34.44 | | गुवाहटी |
| 42 | 19ए | उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण न होना | 69.29 | 69.29 | | भावनगर |
| 43 | 23ए | अस्वीकार्य सेवा पर सेवा कर क्रेडिट की गलत प्राप्ति | 132.43 | 132.43 | | दिल्ली-।।। |
| 44 | 24ए | सेनवेट क्रेडिट की स्वतः प्राप्ति | 23.33 | 23.33 | | चण्डीगढ़-।। |
| 45 | 29ए | सेनवेट क्रेडिट का गलत उपयोग करके केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अनियमित भुगतान | 184.64 | 184.64 | | गुडगांव |
| 46 | | कम निधि मूल्य आपत्तियां जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार किया गया तथा सुधारात्मक कार्रवाई की गई परन्तु ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के अन्दर शामिल नहीं किया गया। | 937.02 | 937.02 | 935.65 | |
| | | कुल | 6166.10 | 6166.10 | 1546.84 | |

परिशिष्ट III

(संदर्भ पैराग्राफ 6.2)

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | डीएपी सं. | संक्षिप्त विषय | आपत्ति की गई राशि | वसूल की राशि | स्वीकृत राशि | आयुक्तालय |
|----------|-----------|--|-------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | 1डी | निर्धारिती द्वारा लिया गया अनियमित सेनवेट क्रेडिट | 10.97 | 10.97 | 10.97 | बेंगलुरु-1 |
| 2 | 5डी | निर्माण सेवाओं पर अस्वीकार्य सेनवेट क्रेडिट का पता न लगाना | 29.21 | 29.21 | 29.21 | कानपुर |
| 3 | 8डी | काल बुक रजिस्ट्रों में मामलों को गलती से बनाए रखना | एनएमवी* | एनएमवी* | | पटना |
| | | जोड़ | 40.18 | 40.18 | 40.18 | |

*एनएमवी गैर मुद्रा मूल्य

शब्दावली

| | |
|-------------|--|
| एसी | सहायक आयुक्त |
| एसीइएस | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचालन |
| एडीबी | एशियाई विकास बैंक |
| एडीजी | अतिरिक्त महानिदेशक |
| बीसीडी | मूल सीमा शुल्क |
| बीई | बजट आकलन |
| बोर्ड | केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड |
| सीएएटी | कम्प्यूटर एसिसटेड ऑडिट तकनीक |
| सीएएस | लागत लेखांकन मानक |
| सीबीडीटी | केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड |
| सीबीईसी | केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड |
| सेनवेट | केन्द्रीय मूल्य संवर्धित कर |
| सीईआरए | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा |
| सीईएसटीएटी | सीमाशुल्क उत्पाद और सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण |
| सीईटीए | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम |
| सीएनजी | संपीडित प्राकृतिक गैस |
| सीएसईबी | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड |
| सीवीडी | प्रतिकारी शुल्क |
| सीडब्ल्यूएफ | उपभोक्ता कल्याण निधि |
| सीएक्स | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क |
| डीसी | उपायुक्त |
| डीजी | महानिदेशक |

| | |
|---------------|---|
| डीजीसीईआई | महानिदेशक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना |
| डीओआर | राजस्व विभाग |
| ईए 2000 | उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा 2000 |
| ईएलटी | उत्पाद शुल्क लॉ टाइम्स |
| एफवाई | वित्तीय वर्ष |
| जीडीपी | सकल घरेलू उत्पाद |
| जीटीए | माल परिवहन एजेंसी |
| एचएसडी | उच्च गति डीजल |
| आईसीटी | सूचना और संचार तकनीक |
| इंटोसाइ | सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय संगठन |
| इंटोसाइ जीओवी | इंटोसाइ के सुशासन के मार्गनिर्देशक |
| आईआरईपी | एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना |
| केएसटीपी | केरल राज्य परिवहन परियोजना |
| एलटीयू | बड़ी करदाता इकाई |
| एमआईएस | प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| एमएमपी | मिशन मोड परियोजनाएँ |
| एमओएफ | वित्त मंत्रालय |
| एमएस | मोटर स्पिरिट |
| एमटी | मीट्रिक टन |

| | |
|----------|-------------------------------|
| एमटीआर | मासिक तकनीकी रिपोर्ट |
| एनसीसीडी | राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक इ्यूटी |
| एनईजीपी | राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना |
| एनपीवी | शुद्ध वर्तमान मूल्य |
| पीडी | प्रधान निदेशक |
| पीडीएस | सार्वजनिक वितरण प्रणाली |
| पीओएल | पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स |
| पीएलए | व्यक्तिगत खाता लेखा |
| आरएंडसी | समीक्षा और संशोधन |
| आरई | पुनरीक्षित अनुमान |
| एससीएन | कारण बताओ नोटिस |
| एसएचई | माध्यमिक और उच्च शिक्षा |
| एसटी | सेवा कर |
| टीएसएच | प्रशुल्क अनुसूची शीर्षक |
| वैट | मूल्य वर्धित कर |

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in